साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 51 19 - 25 दिसंबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

विस्फोटक राज़ दफन हैं माउंटबेटन की डायरियों में?
पृष्ठ - 6

विकास के दावे और उठते प्रश्न
पृष्ठ - 7

भारत की केंद्रीय व राज्य सरकारों के द्वारा यू.ए.पी.ए. का अवैध प्रयोग

क्या उच्चतम न्यायालय उस पर रोक लगाएगी?

पिछले कुछ सालों के दौरान यू.ए.पी.ए. का प्रयोग जिस प्रकार मनमाने ढंग से हो रहा है उसने देशभर में एक हलचल मचा रखी है, अब पूरे देश की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई है कि वह क्या करती है।

15 अगस्त 1947 को भारत को सौ वर्षीय गुलामी से छुटकारा मिला तो उसी समय हमारे नेताओं ने देश को एक भरपूर और तमाम विषयों पर शामिल संविधान देने की तैयारी कर दी। बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की तैयारी के लिए कमेटी का गठन किया गया और एक संविधान बनाने वाली असेम्बली का गठन कर 26 जनवरी 1950 को विधान को आख़िरी रूप देकर उसे लागू कर दिया गया, भारतीय संविधान को जिन अभिलाषा और तमन्नाओं की रोशनी में तैयार किया था उसका तक़ाज़ा था कि उसे अमल में लाने के लिए हमारे शासक गंभीरता के साथ उसको लागू करें। आज़ादी के बाद के लगभग साठ पैंसठ सालों में देश पर सत्ता चलाने वाली राजनैतिक दलों ने संविधान की इस आत्मा की रक्षा की, किसी न किसी हद तक रक्षा भी की मगर 2014 के बाद देश में जिस तरह के हालात बनें और साम्प्रदायिकता और धर्म के नाम पर जिस तरह देश को बंधक बनाया गया उसने जो ही देश की गंगा- जमुनी संस्कृति को बहुत अधिक हानि पहुंचाया। वहीं संविधान और क़ानून को भी सत्ता का एक खिलौना बना देने की बार-बार कोशिशें की जा रही हैं। ख़ासकर देश की सुरक्षा के बारे में कुछ क़ानूनों को केवल साम्प्रदायिकता को बढ़ाने और फिर उस साम्प्रदायिकता को सत्ता की सीढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करना सरकार का एक आम चलन सा हो गया है। हद की बात तो यह है कि भारतीय क़ानून की यह धाराएं जिन्हें अदालतें अपने अलग-अलग फैसलों में रद्द कर चुकी हैं, हमारी सरकार की ज़िम्मेदार संस्थाएं आज भी हर बार उन्हें अपने विरोधियों के लिए प्रयोग करने से रुक नहीं रहे हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय तक बार-बार इस पर टिप्पणी करता रहा है मगर हमारे शासक न्यायिक टिप्पणी तक की अनदेखी करते हुए लगातार संविधान के साथ का अपमानजनक व्यवहार जारी रखे हुए हैं। अब यहां प्रश्न है कि आख़िर इसका समाधान क्या है।

कई वरिष्ठ जजों तथा विशेषज्ञों द्वारा यह राय व्यक्त करने के बावजूद कि निरंकुश तथा बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाने वाला ग़ैर कानूनी गतिविधियां (निरोधक) क़ानून, जिसे सामान्य तौर पर यू.ए.पी.ए. के नाम से जाना जाता है, में आवश्यक तौर पर संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों तथा पत्रकारों के ख़िलाफ़ बहुत अधिक किया जा रहा है। जहां इस क़ानून तथा इसके कई पूर्ववर्ती अवतारों जैसे कि पोटा का दुरुपयोग वास्तव में पहले की सभी सरकारों द्वारा किया गया है लेकिन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत मामले दर्ज करने की आवृत्ति हाल के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ा है विशेषकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। पार्टी की आलोचना तथा अपने शीर्ष नेतृत्व की राज्य के नेताओं पर लगाम लगाने में असफलता को नज़रअंदाज करने के रुझान के चलते इस क़ानून के अंतर्गत मामले दर्ज करने को वैधता मिल जाती है।

और चूंकि इनमें से कुछ सरकारों की छोटे से बहाने पर ही नागरिकों को हिरासत में लेने का रुझान है इसलिए ऐसे मामलों में सज़ा की दर अत्यंत कम हैं गत वर्ष अगस्त में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि 2019 में यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से केवल 34 को कानून के अंतर्गत सज़ा हुई। इसने यह भी स्वीकार किया कि 2016-2019 के बीच यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत दर्ज केवल 2.2 प्रतिशत मामलों का अंत अदालतों द्वारा सज़ा के रूप में हुआ।

क़ानून में हाल ही में किए गए कड़े संशोधन जो राज्यों को बिना मामला दर्ज किए गए कड़े संशोधन, जो राज्यों के बिना मामला दर्ज किए गए आरोपी की संपत्ति की कब्ज़े में लेने तथा सील करने तथा नागरिकों को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे छालने का अधिकार देता है, ने इस प्रक्रिया को अपने आप में एक सज़ा बना दिया। कई सालों के बाद रिहा किए जाने का उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता जिन्हें लम्बित मुक़द्दमों के चलते महीनों और यहां तक कि सालों तक जेलों में रखा

बाक़ी पेज 11 पर

तब्लीग़ी जमाअत की संरक्षा और उसका समर्थन करना उलमा का कर्तव्य है

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की जमीयत के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भावभीनी अपील

तब्लीग़ी जमात, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण, धार्मिक सुधार एवं निर्माण (दीनी व तामीरी) अभियान है, इस जमात ने अपने सौ वर्षीय इतिहास में मुस्लिम नौजवानों को मयखानों से निकालकर मस्जिदों में लाने, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने और बुराई के मार्ग से हटाकर भलाई व अच्छाई के मार्ग पर लगाने का काम किया है। पूरी विश्व मानवता के लिए यह अत्यधिक भलाई वाली जमात है। जो लोग या सरकारें इनका विरोध कर रहे हैं, वह वास्तविकता से अपरिचित या तथ्यहीन प्रोपेगंडा से प्रभावित हैं।

इस तरह की जमाअत की संरक्षा और उसका समर्थन, पूरी उम्मत, विशेषकर उलमा ए दीन पर अनिवार्य है। इसलिए जमीयत उलमा-ए-हिंद अपने सारे पदाधिकारियों, सदस्यों और संबंधितों से अपील करती है कि-

1. हर मस्जिद में जुमे के बयानों में उलमा और इमाम लोग, तब्लीग़ी जमाअत की वास्तविकता और कार्यों से जनता को परिचित कराएं।
2. दावते हक़ (सत्य की ओर आमंत्रण) को बड़ी से बड़ी शक्ति न रोक सकी है और न रोक सकेगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अहले हक़ (सत्य पर चलने वालों) को हर दौर में क़ुर्बानी देनी पड़ी है इसलिए दावत व तब्लीग़ का समर्थन और उसकी संरक्षा के लिए जमीयत किसी भी क़ुर्बानी (बलिदान) से पीछे नहीं हटेगी। (इंशाल्लाह तआला)
3. जमीयत उलमा के सारे कर्ता धर्ता, तब्लीग़ी जमाअत के कार्यों को अपना कार्य समझें और उसका प्रबल समर्थन करें। वर्तमान स्थिति में इसकी अति आवश्यकता है।

(मौलाना) महमूद असअद मदनी
अध्यक्ष, जमीयत उलमा-ए-हिन्द

एफएटीएफ-पाकिस्तान को दोहरा झटका

के॰एस॰ तोमर

पाकिस्तान द्वारा पिछले कई सालों से तालिबान, हक्कानी नेटवर्क समेत विभिन्न आतंकी समूहों को लगातार सक्रिय समर्थन देने, वित्त पोषित करने और प्रशिक्षण देने के बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई में विफल रहा है। यह इसी का प्रमाण है कि काली सूचि में डालने के बजाय एफएटीएफ ने उसे 'ग्रे लिस्ट' में रखा है। जबकि पाकिस्तान इस ग्लोबल टेरर फाइनेंस वॉचडॉग द्वारा विगत जून में की गई सिफारिशों के अमल में धोखा करने के लिए ज़िम्मेदार है। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए खुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह अब भी 'ग्रे लिस्ट' में शामिल है, जिसके चलते उसे 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से उसे वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी।

यही नहीं, पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि उसके करीबी सहयोगी तुर्की को भी माली के साथ 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया गया है। तुर्की को भारत के विरोधी के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान को काली सूचि में शामिल करने से बचाने के लिए ईरान और उत्तर कोरिया के अलावा चीन के साथ खड़ा है। तुर्की विभिन्न मंचों पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाता रहा है। वहां के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया था। पिछले वर्ष भी एर्दोगन ने अपने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में जम्मू कश्मीर का ज़िक्र किया था, जिसे भारत ने ख़ारिज कर दियाा था। विश्लेषण्कों का मानना है कि 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किए जाने पर तुर्की को नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा और उसके प्रति निवेशकों एवं कर्ज़दाताओं में विश्वास की कमी होगी, जो पाकिस्तान जैसे देशों में अपना पैसा लगाने से परहेज़ करते हैं। तुर्की पहले से ही आर्थिक संकट की चपेट में है, जिस कारण तुर्की के लीरा का अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले तेज़ी से अवमूल्यन हुआ है। चीन हमेशा ही इन दोनों राष्ट्रों के बचाव में आता रहा है, लेकिन इस बार वह विफल रहा। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए एफएटीएफ पर भारत के दबाव का आरोप लगाया, जिसे एफएटीएफ ने नकार दिया है लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान के वित्तपोषण और समर्थन के बारे में सदस्य देशों को समझाने का श्रेय लिया है।

एफएटीएफ ने 19 से 21 अक्तूबर तक पेरिस में आयोजित तीन दिवसीय आभासी बैठकों के बाद अपना फैसला सुनाया। पाकिस्तान को जून 2021 में 'ग्रे लिस्ट' में रखा गया था और आतंकी फंडिंग पर दूसरी कार्य योजना को अंजाम देने के लिए चार माह की समय सीमा दी गई थी, जिसमें आतंकवादियों से संबंधित नए पहलू शामिल थे। इसकी दूसरी 'कार्य योजना' में आतंकी समूहों के नेताओं को दंडित करने के दावों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए मौके का दौरा शामिल है। नई कार्य योजना में पाकिस्तान के पारस्परिक कानूनी सहायता कानून में संशोधन कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रासंगिक प्रस्ताव के तहत आतंकवाद विरोधी सुझावों को लागू करने के लिए विदेशों से मदद मांगने सहित छह तत्व थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों के नेताओं को दंडित करने के उपायों के बारे में एफएटीएफ और सदस्य देशों को धोखा देने की पाकिस्तान की रणनीति को उजागर करने में भारत ने काफी सक्रियता दिखाई, लेकिन उसका यह दांव कारगर साबित नहीं हुआ।

हालांकि एफएटीएफ ने 32 में से 31 सिफारिशें लागू करने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए क़दमों की सराहना की है, जबकि बाकी को फरवरी 2022 में होने वाली अगली बैठक तक लागू करने की ज़रूरत है और अन्तिम निर्णय में कम से एक वर्ष लग सकता है, जो फरवरी और अक्तूबर 2022 के पूर्ण सत्र के दौरान हो सकता है। साथ ही, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा है कि पर्यवेक्षकों को साइट पर और ऑफ साइट पर्यवेक्षण करने देना चाहिए, जो उचित प्रतिबंध लागू करने सहित नामित ग़ैर वित्तीय व्यवसायों और पेशों (डीएनएफबीपी) से जुड़े विशिष्ट जोखिमों के अनुरूप होना चाहिए।

विश्लेषकों का मानना है कि क्रॉस चेकिंग के बारे में एफएटीएफ के निर्देश पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि उसने 2019 में दुनिया को धोखा दिया था, जब उसने गिरफ्तारियों और आतंकवाद विरोधी क़ानून बनाने की बात तो की थी, पर उसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया था। उनका मानना है कि अमेरिका ने इस बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आक्रामक रुख़ अपनाने से परहेज़ किया, जिस कारण भारत का दांव भी बेकार गया। अमेरिका के इस रुख़ का कारण अफग़ानिस्तान मामले में पाकिस्तान से मदद मांगने की उसकी रणनीतिक मजबूरी हो सकती है। एफएटीएफ तालिबान, हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों आदि को शुरू से आज तक पनाह देने, वित्तपोषण करने और प्रशिक्षण देने के पाकिस्तान के खुले सहयोग के बावजूद, जो तालिबान की अंतरिम सरकार में इन आतंकी समूहों के नेताओं को शामिल कराने में आईएसआई द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका से भीा स्पष्ट हुआ, इस्लामाबाद को काली सूचि में डालने में विफल रहा है।

एफएटीएफ द्वारा सूचिबद्ध किए जाने के कारण वर्ष 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इसके परिणामस्वरूप उसे कुल सकल घरेलू उत्पाद के मोर्चे पर 38 अरब डॉलर का घाटा हुआ। आतंकी समूहों को नियंत्रित करने के बारे में गंभीर न होने की कीमत वह वैश्विक राजनीति में चुका ही रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था पर एफएटीएफ की ग्रे-लिस्टिंग का दुष्प्रभाव भी झेल रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन का मुक़ाबला करने और अफग़ानिस्तान में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। फिर चीन भी खुलेतौर पर पाकिस्तान के बचाव में आया, ताकि एफएटीएफ को कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोका जा सके। ऐसे में, कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद और हत्याओं पर शायद ही रोक लगे। हालांकि तालिबान ने फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान की मदद से इंकार किया है, क्योंकि उसके लिए वैश्विक मान्यता मिलना सबसे ज़रूरी है, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका रहेगी। ❑❑

रेत माफिया की लूट रोक कर पंजाब के विकास पर लगाएंगे पैसा : सिसोदिया

2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पंजाब की शिक्षा नीति पर प्रश्न उठा रहे हैं। वह दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने की बात कर रहे हैं। श्री सिसौदिया ने दिल्ली की शिक्षा नीतियों पर प्रकाश डाला और पंजाब में रेत माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही , पेश है सिसोदिया जी से हुई इस बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- आपको क्या लगता है पंजाब के लोगों के मन में क्या है. .?

उत्तरः- पंजाब आकर मैंने महसूस किया है कि लोग सभी पारंपरिक पार्टियों से तंग आ चुके हैं। इस बार लोग अरविंद केजरीवाल को मौक़ा देना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसा किया है इसलिए लोग चाहते हैं कि पंजाब भी इसी तरह आगे बढ़े।

प्रश्नः- आप किन 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं.?

उत्तरः- पंजाब में कारोबारी परेशानी हैं। उनकी सभी समस्याओं का समाधान ज़रूरी है। खेती का मुद्दा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीति का बेड़ा ग़र्क हो चुका है। पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। रेत माफिया को रोकना होगा। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में आज भी अवैध रेत खनन चल रहा है जिसके बारे में राघव चड्ढा ने अपनी जान जोखिम में डालकर खुलासा किया है। मादक पदार्थों की तस्करी अभी थमी नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि इन सभी मुद्दों पर मुख्य रूप से काम करने की ज़रूरत है।

प्रश्नः- विरोधी कहते हैं कि पंजाब शिक्षा के मामले में नंबर वन है। आप क्या कहेंगे.?

उत्तरः- पंजाब सरकार कह रही है कि हमने 05 वर्ष में पंजाब के स्कूलों का चेहरा बदल दिया है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर चैक किया तो पता चला कि एक शिक्षक 6 हज़ार रुपए में काम कर रहा है। यही हाल बाकी स्कूलों का है। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? यह पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। जब सिसोदिया से 'जगबाणी' ने पूछा कि विपक्ष कह रहा है कि स्थिति बहुत अलग है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर कांग्रेस को लगता है कि वह राज्य नहीं चला सकती है, तो उसे खुद ही सत्ता छोड़ देनी चाहिए।

प्रश्नः- जो वायदे आप पंजाब में कर रहे हैं, वे दिल्ली में लागू क्यों नहीं हो रहे?

उत्तरः- यदि पंजाब की महिलाओं को पंजाब के टैक्स से कुछ लाभ मिलता है तो इससे विपक्ष को क्यों तकलीफ होती है? जो पैसा पंजाब के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए था, उसे नेताओं द्वारा उड़ाया जा रहा है। जबआम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो वही पैसा लोगों के कल्याण और पंजाब के विकास पर ख़र्च किया जाएगा। रेत माफिया 20 हज़ार करोड़ रुपए की चोरी कर रहे हैं। यही पैसा अगर पंजाब सरकार के पास आता है तो सरकार की वाह-वाही होगी। हम वही कर रहे हैं जो दिल्ली चाहती है।

प्रश्नः- क्या है दिल्ली मॉडल?

उत्तरः- छह वर्ष पहले दिल्ली में 6 से 7 घंटे बिजजी कट लगते थे। बिना जैनेरेटर के लोग वहां काम नहीं कर सकते थे लेकिन आज घरों में चौबीसों घंटे बिजली मिल रही है। जो पुल पहले 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए थे, अब 350 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो गए हैं। हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया और उतना ही पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च किया। शिक्षा नीति पर उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 1000 स्कूलों के लिए नए भवनों का निर्माण किया है और बुनियादी ढांचे पर काम किया है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती की है। ❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

आरक्षण लोगों के उत्थान का एकमात्र उपाय नहीं

हिन्दोस्तान की जनता को तमाशा देखने की आदत बन गई है और चुनाव आते ही हमारे राजनेता आरक्षण और सब्सिडी के उपहार बांटने लग जाते हैं। वे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्हें मूंगफलियां की तरह बांटते हैं क्योंकि कोटा अर्थात् आरक्षण यानि वोट भारत की राजगद्दी पर बैठने के लिए एक जिताऊ मिश्रण है। केन्द्र सरकार की समस्याएं इसलिए भी बढ़ीं कि उच्चतम न्यायालय ने शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय में रोड़ा डाल दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह इस मानदंड की पुन: जांच करने के लिए 4 सप्ताह के भीतर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे और इस बात की जांच करे कि क्या 8 लाख रुपए प्रति वर्ष आय वाले लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। न्यायालय ने हैरानी व्यक्त की कि क्या सरकार असमान लोगों को समान बनाने का प्रयास कर रही है।

सरकार ने मेडीकल कॉलेज में प्रवेश के अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की और उसी अनुपात में मेडीकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाईं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 1993 में शुरू किया गया था और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण वर्ष 2019 में चुनावों से पूर्व जनवरी 2019 में एक संविध ान संशोधन द्वारा शुरू किया गया और इसका कारण यह था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में उच्च जातियों की नाराज़गी और बढ़ती बेरोज़गारी के कारण भाजपा को ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा था। विपक्ष ने भी इस निर्णय का समर्थन किया क्योंकि वे भी इससे लाभान्वित होते और उन्हें इस विधेयक को अस्वीकार करने वाले के रूप में नहीं देखा जाता। सरकार का मूल उद्देश्य ग़रीब और वंचित वर्गों का उत्थान, उन्हें शिक्षित करना तथा उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। यदि सरकार के लोकप्रिय क़दमों और अविवेकशील तदर्थवादी घोषणाओं से वंचित और दलित वर्गों का उत्थान होता तो लोग वास्तव में हमारे नेताओं को माफ़ कर देते, किन्तु पिछले 7 दशकों में भारत में उनके उत्थान के लिए किसी भी तरह के कानून और जाति/उपजाति के आधार पर आरक्षण प्रदान करने से लाभ नहीं मिला है। आरक्षण के माध्यम से यदि कुछ लोगों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश मिल भी जाता है तो इससे ग़रीब लोगों का उत्थान कैसे होगा?

यही नहीं, आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद इस तथ्य का पता लगाने के लिए भी कोई अध्ययन नहीं किया गया कि जिन लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया है, क्या इससे उनका मनोबल बढ़ा है? यह इस बात को रेखांकित करता है कि आरक्षण शैक्षिक व्यवस्था में गड़बड़ी का समाधान नहीं है या वह बेहतर जीवनशैली उपलब्ध नहीं करा सकता। उनके लिए न तो कोई कल्याण कार्यक्रम है और न ही कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या आरक्षण अपने आप में एक साध्य है? बिल्कुल नहीं। क्या इस बात का आंकलन किया गया है कि जिन लोगों को आरक्षण दिया गया है उनको लाभ मिल रहा है या वे खो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत के सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने का समाधान आरक्षण है? बिल्कुल नहीं क्योंकि यह भारत के लोगों के मतभेद पैदा करता है और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है। क्या यह तर्कसंगत है कि यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो वह दवाईयां बेचे और यदि दलित छात्र 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो वह डॉक्टर बन जाए और इस व्यवस्था का कारण सिर्फ आरक्षण है। उस आरक्षण का क्या लाभ, जब छात्र या अधिकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया के दबाव को सहन नहीं कर पाए।

पिछड़ापन संविधान के अनुच्छेद 15(1) द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार पर कम से हावी होने लगा है? वर्ष 2021 का भारत 1989 का भारत नहीं है, जब एक 18 वर्षीय छात्र राजीव गोस्वामी ने सार्वजनिक रूप से आत्मदाह कर लिया था। हमारे नेतागणों को यह समझना होगा कि वे आज जैन-एक्स और जैन-वाई का सामना कर रहे हैं और 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में विश्वास करते हैं न कि प्रतिक्रिया में। वे योग्यता के आधार पर रोज़गार लेना चाहते हैं। हमारा रोज़गार बाज़ार पहले ही अत्याधिक भीड़-भाड़ भरा है। देश में श्रम शक्ति में प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जबकि रोज़गार वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत है, जिससे बेरोज़गारी 7.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है। किसी ने भी इस बारे में सोचा नहीं है कि रोज़गार बाज़ार में प्रतिवर्ष प्रवेश कर रहे 1 करोड़ 20 लाख लोगों को किस तरह रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। इस परिदृश्य में आरक्षण कहां फिट होता है? आरक्षण का दायरा निरंतर बढ़ाना उचित नहीं है। आरक्षण के इस अविवेकपूर्ण विस्तार से विभिन्न समूह अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने लग गए हैं, जिसके चलते आज ऐसी स्थिति बन गई है कि चुनावी रूप से महत्वपूर्ण समूह अन्य कीमत पर लाभ उठा रहे है। अन्याय तब बढ़ता है जब समान लोगों के साथ असमान रूप से व्यवहार किया जाता है और जब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसके दो उदाहरण हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि आई.आई.टी. से अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के 48 प्रतिशत छात्र बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं क्योंकि वे इन पाठयक्रमों को चुनौतीपूर्ण मानते हैं। इस मामले में आई.आई.टी. गुवाही का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है जहां पर उसके 25 ड्रॉप आउट्स में से 88 प्रतिशत छात्र आरक्षित श्रेणी के हैं। उसके बाद दिल्ली आई.आई.टी. में ऐसे छात्रों की संख्या 76 प्रतिशत है। आई.आई.टीज़. में 23 आई.आई.टी. के 6043 शिक्षकों में से अनुसूचित जाति के 149 और अनुसूचित जनजाति के 21 शिक्षक हैं जिनकी संख्या 3 प्रतिशत से कम हैं तथा 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से अधिकतर में अन्य पिछड़े वर्गों से कोई शिक्षक नहीं है। आरक्षण लोगों के उत्थान का एकमात्र उपाय नहीं हैं न ही यह ग्रामीण समाज में बदलाव लाएगा, जिसका ढांचा अशिक्षा और अज्ञानता पर बना हुआ है और जिसके चलते आज भी जाति प्रथा विद्यमान है। वस्तुत: समय आ गया है कि हमारे राजनेता सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए रचनात्मक ढंग से सोचें। अब पदोन्नति में आरक्षण से उत्कृष्टा नहीं आएगी। इसके लिए हमारे राजनेताओं को अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को योग्य बनाने के लिए नए-नए उपाय करने होंगे ताकि वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। दूसरी ओर उन्हें सेवा में उच्च पदों के योग्य भी बनाया जाए अन्यथा वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त-102

यहूद कहते थे कि अगर यह आयत हम पर नाज़िल होती तो हम इसको ईद का दिन बना लेते, हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु जवाब देते कि मुझे मालूम है कि यह किस वक़्त और कहाँ नाज़िल हुई, जिस वक़्त यह आयत पैग़म्बर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई वह तो ख़ुद ही गोया कि ईद का दिन था, जुमा का दिन और अरफ़ात का मैदान था और अस्र के बाद का वक़्त था, गोया कि अब दीन की तकमील हो चुकी, मग़्रिब का वक़्त होने के बाद आप वहाँ से रवाना हुए, मजमा कसीर था, धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन आप लोगों को रोक रहे थे, और लोगों को इतमीनान व सुकून की तलक़ीन कर रहे थे, आप ने मुज़दलफ़ा पहुंच कर मग़्रिब और ईशा की नमाज़ एक साथ पढ़ी, अल्लाह तआला इस अमल के ज़रिये पैग़म्बर अलैहिस्सलाम को यह बतलाना चाहते थे कि नमाज़ को अपने वक़्त पर पढ़ना इस वजह से नहीं कि वक़्त में कोई ख़ुसूसियत है बल्कि इस वजह से है कि हमारा हुक्म यही है, जब हमारा हुक्म बदलेगा तो नमाज़ का वक़्त भी बदल जायेगा।

हाजी के अलावा कोई शख़्स अगर ज़ोहर के वक़्त में अस्र पढ़ ले तो क़तअन नमाज़ नहीं होगी, इसी तरह अगर किसी शरई उज़्र के बग़ैर मग़्रिब का वक़्त गुज़ार कर इशा के वक़्त में मग़्रिब पढ़ें, तो गुनाह मिलेगा, लेकिन वहाँ ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसा हमारे आक़ा व मौला फ़ख़रे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, आप का हर हर अमल हुज्जत बना, फिर आप ने मुज़दलफ़ा में रात गुज़ारी और उम्मत के लिए दुआयें फ़रमाईं, आप ने यहाँ तक दुआ फ़रमाई कि इलाही अगर मेरी उम्मत में से किसी ने दूसरे पर ज़ुल्म किया है, तो आप मज़लूम को अपनी तरफ़ से बदला देकर ज़ालिम को माफ़ कर दीजिये, फिर आप ने फ़ज्र की नमाज़ को अव्वल वक़्त में अदा फ़रमाया, और वुक़ूफ़े मुज़दलफ़ा फ़रमाया।

इसके बाद मिना तशरीफ़ लाए और सब से पहले ज़मरा-ए-अक़बा की रमी फ़रमाई, फिर आप क़ुरबान गाह तशरीफ़ ले गए, और क़ुरबानियाँ कीं, पैग़म्बर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िन्दगी के सालों(बर्सों) के हिसाब से 63 ऊँटों की क़ुरबानी अपने दस्ते मुबारक से फ़रमाई, और बक़ि"या 37 क़ुरबानियाँ आप की तरफ़ से हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्हु ने कीं।

रिवायात में आता है कि जिस वक़्त आप क़ुरबान कर रहे थे, तो ऊँटों में दौड़ लग रही थी कि कौन सब से पहले पैग़म्बर अलैहिस्सलाम के हाथ से यह सआदत हासिल करे? इसके बाद आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाए, और तवाफ़े ज़ियारत (फ़र्ज़ तवाफ़) अदा फ़रमाया। हज में फ़र्ज़ 2 रूक्न हैं: (1) तवाफ़े ज़ियारत (2) वुक़ूफ़े अरफ़ात। फिर आप मिना तशरीफ़ लाए, यहाँ तीन रातें, एक पहली रात और दो रातें तवाफ़े ज़ियारत के बाद गुज़ारना मसनून हैं, 11,12 तारीख़ को आप ने ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी फ़रमाई। (तलख़ीस : मुस्लिम शरीफ़ मअन-नववी 1/394,399 वग़ैरह)

उस वक़्त आप ने उम्मत को मौक़ा बमौक़ा हिदायत फ़रमाई और क्यों कि आप को ता क़यामत पूरी इनसानियत के लिए पैग़ामात देने थे, इस लिए आप ने पूरी मिल्लत के लिए अल्लाह की वहदानियत और औरतों के हुक़ूक़ के बारे में, ग़ुलाम बाँदियों के हुक़ूक़ के बारे में, आपस के तअल्लुक़ात के बारे में हिदायतें फ़रमाई।

ख़ुतबाते हज्जतुल विदा

आप ने 10 तारीख़ को ख़ुतबा दिया कि : "बताओ आज कौनसा दिन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है, फ़रमाया कि क्या आज यौमुन्नहर नहीं है? सहाबा ने फ़रमाया जी हाँ! फिर फ़रमाया कि कौनसा महीना है? सहाबा ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है, फ़रमाया कि क्या ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है? सहाबा ने कहा कि जी हाँ! फिर फ़रमाया कि यह कौनसा मुक़ाम है? कहा कि अल्लाह और रसूल को ज़्यादा मालूम है, क्या यह हरम नहीं है? फ़रमाया कि जी हाँ! फिर आपने फ़रमाया कि जिस तरह यह दिन, यह मुक़ाम और यह महीना मुक़द्दस और क़ाबिले ऐहतिराम है, ऐ लोगो! इसी तरह तुम्हारे आपस के ख़ून, आपस की इज़्ज़त और आपस का माल भी एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है। आप ने फ़रमाया कि ख़बरदार! मेरे बाद कुफ़्र की तरफ़ मत लौट जाना, एक दूसरे के दरपै मत हो जाना, और एक दूसरे के ख़ून के प्यासे मत हो जाना। (बुख़ारी शरीफ़ जि. 2 स. 632) इसी दरमियान आप ने यह भी ऐलान फ़रमाया कि अच्छी तरह सुन लो!

ऐ लोगो! तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम सब का बाप भी एक (आदम अलैहिस्सलाम) है, किसी अरब के रहने वाले को ग़ैर अरब के रहने वाले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं है, और न किसी अजमी को अरबी पर फ़ज़ीलत है, सुर्ख़ आदमी को काले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं, और न काला गोरे पर फ़ज़ीलत रखता है, बल्कि तुम में सब से बाइज़्ज़त वही है जो तुम में अल्लाह से सब से ज़्यादा डरने वाला है। यानी जो आमाले सालेह, तक़वा, डर और परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुज़ारता है, चाहे वह किसी नसल और इलाक़े का हो, या किसी ख़ानदान का हो, अल्लाह के यहाँ वही मुअज़्ज़ज़ है, और जिस के अंदर यह बात नहीं है, तो महज़ ख़ानदान से कुछ होने वाला नहीं है। (जारी)

लोग धैर्य रखें

ओमिक्रोन से दूसरी लहर जैसा कोई बहुत संकट नहीं आने वाला

प्रो॰ डॉ॰ संजय रॉय

देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए स्ट्रे ओमिक्रॉन के मामले मिल रहे हैं। दिल्ली में भी इसके मरीज़ों की पहचान हो रही है, इससे कोरोना को लेकर लोगों को एक बार फिर आशंकित हो गए हैं। बूस्टर डोज़ के लिए भी आवाज़ उठाने लगी है। इस बीच विदेश में एक बार फिर बच्चों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की बात सामने आई है, जिससे यहां भी अभिभावकों की चिंता बढ़ी है और लोग बच्चों के टीकाकरण इसके मद्देनज़र ओमिक्रॉन से संभावित ख़तरों, अस्पतालों में तैयारी, बूस्टर डोज और बच्चों में टीकाकरण की ज़रूरत के संदर्भ में एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ0 संजय राय से बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- ओमिक्रॉन का संक्रमण जनवरी-फरवरी में चरम पर पहुंचने की बात कही जा रही है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप क्या मानते हैं?

उत्तरः- ओमिक्रॉन के संदर्भ में एक बात साफ हो चुकी है कि यह बहुत संक्रामक है। 60 से अधिक देशों में फैल चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसके अधिक संक्रामक होने के बावजूद बीमारी हल्की हो रही है। इससे ज़्यादा गंभीर बीमारी व मौतें नहीं हो रही हैं। संक्रमण खांसी, सर्दी, हल्का बुख़ार और बदन दर्द जैसे हल्के लक्षण तक सीमित रहता तो यह पूरी मानवता के लिए अच्छा होगा। इससे गंभीर संक्रमण हुए बिना लोगों में इसके प्रति प्राकृतिक रूप से इम्युनिटी विकसित हो जाएगी। पोलियो का टीका भी जीवित वायरस को कमज़ोर करके बना है। उसी तरह म्युटेशन के कारण वायरस प्राकृतिक तौर पर ही कमज़ोर हो जाए तो अच्छा होगा। यह राहत की बात हो सकती है लेकिन कुछ समय बाद ही सही स्थिति का पता चल सकेगा।

प्रश्नः- जिन्हें पहले संक्रमण हो चुका है, उन्हें दोबारा संक्रमण होने का ख़तरा कितना है, क्या इस संबंध में कोई अध्ययन हुआ है?

उत्तरः- दक्षिण अफ्रीका में एक रि-मॉडलिंग के आधार पर दोबारा संक्रमण होने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी तक कोई ऐसा डाटा नहीं है, जो इस रि-माडलिंग या दोबारा संक्रमण होने की बात को सही साबित कर सके। कोरोना को लेकर पहले भी विभिन्न संस्थानों व विशेषज्ञों ने कई तरह के आंकलन किए थे। भारत में सितंबर व अक्तूबर में भी तीसरी लहर आने का दावा किया था, जो सही साबित नहीं हुआ। अब तक का अनुभव यही है कि जिसे एक बार संक्रमण हो गया, वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। खासतौर पर डेल्टा का संक्रमण झेल चुके हैं, वे सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। यदि ओमिक्रॉन से बड़े स्तर पर दोबारा संक्रमण हुआ तो इसका अर्थ होगा कि सार्स कोव-2 पूरी तरह बदलकर नए वायरस का स्वरूप ले चुका है। डेल्टा के संक्रमण से उत्पन्न रोग प्रतिरोधकता को ओमिक्रॉन भेद सके ऐसी संभावना बहुत कम है। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन से दूसरी लहर जैसा कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आने वाला। मामले बढ़ रहे है।, लेकिन बहुत गंभीर बीमारी व ज़्यादा मौतें नहीं होंगी। अगले दो तीन सप्ताह तक इंतज़ार करन की ज़रूरत है तब कहीं जाकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्नः- बूस्टर डोज की मांग होने लगी है, यह कितना ज़रूरी है?

उत्तरः- कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और बूस्टर डोज के लिए दबाव बना रहे हैं। सीरो सर्वे में 70 फीसद लोग एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसी स्थिति में बूस्टर डोज से क्या फायदा होगा, इसका कोई डाटा नहीं है। बूस्टर डोज से एंटीबॉडी ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन इससे संक्रमण से बचाव हो यह ज़रूरी नहीं है।

प्रश्नः- कौवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रॉयल शुरू हुआ था, उस ट्रॉयल में किस तरह के तथ्य सामने आए हैं?

उत्तरः- कौवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रॉयल में शामिल जिन लोगों को टीका लिए छह माह से अधिक हो चुका था, उन्हें बूस्टर डोज देकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। अब तक यह बात सामने आई है कि बूस्टर डोज देने से एंटीबॉडी बढ़ गई। बूस्टर डोज लगने से कोरोना के मामले, अस्पतालों में मरीज़ों के दाख़िले और मौतें कितनी कम होंगी, अभी इसका डाटा नहीं है। शरीर में दो तरह की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसमें सेलुलर इम्युनिटी व हयूमरल वायरस को याद कर लेती है। इसलिए एंटीबॉडी खत्म हो जाए तब भी दोबारा संक्रमण होने पर हयूमरल इम्युनिटी सक्रिय होकर वायरस को निष्क्रिय कर सकती है

प्रश्नः- हाल ही में अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आई है कि पहले की तुलना में बच्चे कोरोना से अधिक संक्रमित हुए हैं, ऐसे में क्या यहां पर बच्चों का टीकाकरण जल्द शुरू किया जाना चाहिए..?

उत्तरः- दिल्ली में 80 फीसद से ज़्यादा बच्चे संक्रमित होकर ठीक हो गए, किसी को पता नहीं चला। इसलिए बच्चों को कोरोना से ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बल्कि कोरोना के बाद एम आइएस-सी (मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम) के कारण बच्चों को परेशानी होती हैं। इसका कारण बहुत अधिक एंटीबॉडी का बनना हे। यहां बच्चों को अब तक टीका नहीं लगने के बावजूद परेशानी नहीं हुई। ❑❑

आज की राजनीति में धनतंत्र-परिवारवाद हावी: चन्द्रशेखर आज़ाद

प्रश्नः- राजनीति में क्यों आना चाहते हैं?

उत्तरः- आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बहुत सारे लोगों को राजनीति में अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। धनतंत्र और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिए जाने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। मैंने बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में क़दम रखा है। अब लोग भी समझदार हो गए है। दलित, पिछड़े व वंचित समाज के लोगों में भी जागरुकता आई है। जनता भी चाहती है कि ध नतंत्र व परिवारवाद आधारित राजनीति बदले। ईमानदार, संघर्षशील लोग आगे आएं। इन स्थितियों को देखते हुए ही आज़ाद समाज पार्टी (आसपा) का गठन किया गया है। मेरा मानना है कि व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है और हमारी पार्टी उसी रास्ते पर चलकर काम करेगी।

प्रश्नः- ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे है?

उत्तरः- वैसे मुद्दे तो कई हैं। पर, नौजवानों के लिए रोज़गार, पिछड़े इलाकों में पेयजल संकट, दलित व वंचित समाज की राजनीति में हिस्सेदारी देने, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तीकरण, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों को लेकर 'आसपा' चुनाव मैदान में उतरेगी,। अब तक जितने भी दलों ने सत्ता संभाली, इन बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं किया। अलबत्ता अपने अपने घोषणापत्रों में इनका ज़िक्र ज़रूर ये दल करते रहे हैं स्थिति यह है कि विधानसभा क्षेत्र बेहट के सुदूर इलाके की महिलाओं को आज भी छह किमी दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। यह तो एक उदाहरण है। सहारनपुर मंडल में ऐसे तमाम इलाक़े हैं जहां गांवों तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। न ही बिजली पहुंची है। मंडल में लगे अधिकांश कल कारखाने बंद हैं अधिकांश चीनी मिलें भी बंद हैं। प्रोत्साहन नहीं मिलने से मूंगफली, बाजरा, मक्का और कपास की खेती की स्थिति बदहाल है। कुटीर उद्योग के तौर पर दस्तकारी भी दम तोड़ चुकी है। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व मज़दूरों के हक़ की लड़ाई भी 'आसपा' लड़ती रही हैं और आगे भी लड़ेगी।

प्रश्नः- बसपा के मुक़ाबले दलितों में कैसे स्थान बनाएंगे?

उत्तरः- देखिए, दलित समाज हमेशा से आशावादी रहा है। इसलिए बसपा समेत सभी दलों ने समय समय पर दलित वोट बैंक का फायदा उठाया। पर, किसी ने उनकी मूलभूत समस्याओं, मसलन - रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मसलों को हल नहीं किया। बसपा से पहले दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ था और बाद में आरपीआई के साथ गया। इस समाज ने जगजीवन राम और रामविलास पासवान जैसे नेताओं को भी अपना रहनुमा माना। पर, सभी ने इस समाज को छला। बसपा के संस्थापक कांशीराम की विचारधारा के आधार पर दलित समाज ने बसपा पर अटूट विश्वास किया। पर, मायावती ने बसपा की कमान संभालने के बाद वहां भी धनतंत्र हावी हो गया और दलितों का मुद्दा पीछे छूट गया। दलित समाज अब ऊब चुका है और नए विकल्प की ओर देख रहा है।'आसपा' के तौर पर उसके सामने एक विकल्प है।

प्रश्नः- 'आसपा' चुनाव अकेले लड़ेगी या गठबंधन का इरादा है?

उत्तरः- वैसे तो 'आसपा' प्रदेश के अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, पर सपा, कांग्रेस समेत अन्य भाजपा विरोधी दलों के साथ गठबंधन को लेकर भी सजग हैं। गठबंधन को लेकर अगले कुछ समय में तस्वीर साफ होगी, कई दलों से प्रारंभिक स्तर की बातचीत हो चुकी है। ❑❑

तीन क़ानूनों से आगे की बात सोचिये?

बेशक यह कहा जा सकता है कि कृषि क़ानूनों को लागू करने और उनको रद्द करने से ज़मीन पर बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन इससे कम से कम इतना तो हुआ ही है कि हमारे कृषि संकट के बारे में जन-जागरुकता बढ़ी है और उनका समाधान निकालने के लिए ठोस प्रक्रिया की आवश्यकता सभी ने महसूस की है।

अब यह इतिहास है कि नवंबर 19 तारीख को अचानक ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिनको पिछले साल सितंबर में संसद से पारित किया गया था। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन उन क़ानूनों को वापस भी ले लिया गया। जिस तरह से पिछले वर्ष इन कानूनों को पास किया गया था, ठीक उसी तरह अब बिना किसी चर्चा के उनको निरस्त भी कर दिया गया। ऐसे में, उनको क्यों पेश किया गया और क्यों रद्द किया गया, यह अब भी आधिकारिक तौर पर एक अनसुलझा प्रश्न है।

बहरहाल, संसदीय प्रक्रिया से इन क़ानूनों को आगे बढ़ाने से पहले ही इनका वापस होना तय था। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको लागू करने पर रोक लगा रखी थी। तथ्य यही है कि सरकार उन तीनों कृषि कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटी है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के इस्तेमाल से स्पष्ट है, जो उन क़ानूनों में एक था, जिनको संशोधित किया गया था। न सिर्फ कुछ मामलों में ईसीए का इस्तेमाल असंगत बना दिया गया था, बल्कि यह भी दिखता है कि केन्द्र सरकार उन प्रावधानों को लाने के लिए तैयार हो गई थी, जिनसे यह क़ाननू ख़त्म हो जाता।

हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि सरकार की अपनी हिचकिचाहट से कहीं अधिक क़ानूनों की वापसी मुख्यत: किसान संघों के विरोध के कारण हुई। एक साल से अधिक समय से उनका अनवरत प्रदर्शन चल रहा था। इसमें उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह माना कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को तीनों क़ानूनों की खूबियों के बारे में समझाने में विफल रही। पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों ने भी कानून वापसी की राह आसान की होगी, क्योंकि यहां आंदोलन ख़ासा मज़बूत था।

किसान सरकार के रवैये से नाराज़ थे। केन्द्र ने जिस तरह के तमाम हितधारकों, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सांसदों के विरोध के बावजूद बिल को आगे बढ़ाया, व तरीका किसानों को रास नहीं आया। ये क़ानून उस वक्त किसानों पर थोपे गए, जब देश महामारी से जूझ रहा था और अधिकांश क्षेत्रों में मांग में कमी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी। मुमकिन है कि क़ानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में की गई जल्दबाज़ी और फिर, किसान आंदोलन को 'राष्ट्र विरोधी' और 'विदेशी धन से पोषित आंदोलन' के रूप में बदनाम करने की कोशिशों ने किसानों को उत्तेजित किया हो। फिर भी, असली कारण तो कानूनों के प्रावधान थे। उनमें न केवल कम उत्पादन कीमत और घटते लाभ जैसी किसानों की मुख्य चिंताएं शामिल थीं, बल्कि कृषि उत्पाद मार्केटिंग और वादा खेती पर निजी क्षेत्र को खुला हाथ देने से किसानों को अपनी ग़रीबी और बढ़ती नज़र आ रही थी।

किसान लगभग पांच सालों से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि क़ानूनों की महज़ वापसी से उनकी चिंता ख़त्म होने वाली नहीं है। किसानों के एक वर्ग पर क़ानूनों की ख़ूबियों का एहसास न होने के लिए दोष मढ़ देना न केवल ग़लत कृत्य है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र की सच्चाई से आंखें मूंद लेना है। लागत व्यय बढ़ने और कम कीमत मिलने जैसी कठिनाईयों से कृषि क्षेत्र लगातार जूझ रहा है। इसके साथ ही, वर्ष 2916-17 से हमारी अर्थव्यवस्था में मांग में गिरावट भी आई है। इनमें से अधिकांश चिंताएं पिछले एक वर्ष से और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि डीजल, बिजली और खाद पर लागत बिक्री दर की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ी है। हाल ही में जारी ग्रामीण-मज़दूरी के आंकड़े और किसानों की स्थिति पर हमारा आंकलन इसकी पुष्टि करता है कि ग्रामीण मज़दूरी में गिरावट आई है और खेती से होने वाली आमदनी घटी है।

किसान कृषि क्षेत्र में सुधार के विरोधी नहीं है। आम धारणाओं के विपरीत, वे तो सुधार के हिमायती रहे हैं। सुधार के कई उपाय तो उन्होंने खुले दिल से स्वीकार भी किए हैं, जिनमें कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में राज्य और केन्द्र के स्तर पर हुए बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी बनाने की उनकी मांग भी एक के बाद दूसरी केन्द्र सरकारों किए गए वादों के अनुरूप ही है। सरकारें उनसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक उचित पारिश्रमिक मूल्य देने का वादा करती रही हैं। हालांकि, लाभकारी कीमतों को सुनिश्चित करने का कौन सा तरीक़ा बेहतर होगा, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन एमएसपी व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत से क़तई इंकार नहीं किया जासकता। जिन समस्याओं के समाधान की दरकार है, उनमें एमएसपी निर्धारण में राजनीतिक दख़ल को रोकना, एमएसपी से जुड़ी खरीद प्रक्रिया में फसलवार व क्षेत्रवार असंतुलन को खत्म करना, वितरण और सीमा शुल्क व व्यापार प्रतिबंधों में अनुचित दख़ल को रोकना शामिल है। ये सभी समस्याएं सबको पता है और कई कमेटियों में इस पर बहस भी हो चुकी है।

इसी प्रकार, केस-रिसर्च प्राथमिकताओं, खेती से जुड़ी अन्य सेवाओं के विस्तार और निवेश संबंधी प्राथमिकताओं में भी सुधार की दरकार है। इनमें से ज़्यादातर में सरकारी ख़र्च कम कर दिए गए हैं, और नियम क़ानूनों से भी बहुत थोड़े संस्थागत सुधार किए गए हैं। इनमें से अधिकांश के लिए जहां बहुत अधिक वित्तीय सहायता की ज़रूरत नहीं है, बलिक क़ानूनी दख़ल की दरकार है, वहीं कुछ के लिए राज्यों को निवेश बढ़ाना होगा और ख़र्च करना होगा। देखा जाए, तो अभी इस क्षेत्र में ज़रूरी सुधारों को आगे बढ़ाने का बिल्कुल सही समय है। किसान प्रतिनिधित्व वाला पैनल एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।❑❑

रोज़गार .....

कामयाबी की सीढ़ी के 5 प्रमुख स्तर

दुनिया प्रोफेशनलस, कंपनियों, कलाकारों, लेखकों, वकीलों, डाक्टरों, छात्रों से भरी हुई है और सूचि अंतहीन हैं उनके मोटिवेशन का सही निर्धारित यह करेगा कि कौन कामयाबी की सीढ़ी के किस पायदान पर आकर ठहरेगा। चाहे आप नई राह बना रहे हों या पुरानी राह पर चल रहे हों, आपकी कामयाबी आपके मोटिवेशन के स्तर पर निर्भर करती है।

क्विटर

क्विटर, परिस्थितियों के मुताबिक काम करने वाले लोग होते हैं, यह आपके लक्ष्य के लिए प्रेरणा का सबसे निम्न स्तर है। यदि आप एक क्विटर हैं, तो आप अपने आप परिस्थितियों का सामना करने की तुलना में बचने की कोशिश करेंगे। जब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो एक क्विटर नौकरी बदलता है, न कि अपना रवैया। इस श्रेणी के लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं और एक कड़ी का सबसे कमज़ोर लिंक होता है। इन लोगों का ध्यान काम से ज़्यादा समस्याओं पर केन्द्रित होता है, ये समाधान खोजने से ज़्यादा समस्याओं को बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं।

आलोचक

इस श्रेणी में काफी विश्लेषणात्मक कौशल है, फिरभी उनकानिर्णय लेने का उद्देश्य आमतौर पर किसी वस्तु को दोष देने के लिए होता है। उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उन चीज़ों में ग़लती करना है, जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है। सफल लोग तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, न कि ग़लतियां ढूंढने में। दोष ढूंढने वाले अपने कौशल की वजह से पीछे नहीं रहते बल्कि इच्छा शक्ति के कारण ही पीछे रह जाते हैं। अगर आप गलतियां ढूंढने में विश्वास रखते हैं तो आप अपने तेज़ दिमाग़ से वो हर कोशिश करेंगे जिसमें किसी भी चुनौतीपूर्ण काम में आप गलती निकल सकें और उससे छूटकारा पा सकें।

डैब्लर

लीडर्स के इस वर्ग की सबसे प्रभावशाली विशेषता उच्च उत्साह है, क्या केवल शुरुआती महीनों में? इस श्रेणी के लिए खुद को परखें। शुरुआत में बड़े पैमाने पर प्रेरित होने के साथ एक बेहद उत्साही कमी होते हैं, लेकिन समय के साथ जब चुनौतियां बढ़ जाती हैं तो उत्साह भी कम हो जाता है? एक डब्लर होने के नाते, आप आसानी से प्रेरित हो सकते हैं और यहां तक कि आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं। कारपोरेट जगत में इस प्रेरणा के स्तर वाले प्रबंधकों को अपने क्षणिक व्यवहार के लिए शूटिंग स्टार मैनेजर्स' कहा जाता है।

तनावग्रसित

ये लोग अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं, पूर्णता की निकटता में होने के कारण उन्हें उल्लेखनीय कर्मी बना देते हैं। यदि आप यहां हैं, तो आप एक उपलब्धि हैं। यदि आप एक तनावग्रसित कर्मी है, तो जितना जोर से आप गिरेंगे, उतनी ही जोर से आप बाउंस बैक करेंगे। परन्तु, तनावग्रसित लोग बिना सोचे समझे बहुत से काम करते हैं जिससे उनको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है और वो स्मार्ट वर्क करने से चूक जाते हैं। इसी वजह से वो कोशिश तो बहुत करते हैं पर सही दिशा में कोशिश नहीं कर पाते।

मास्टर

यदि सफलता पाने के लिए आप पुरज़ोर कोशिश करते हैं और हर दरवाज़े पे दस्तक देते हैं, तो आप मास्टर की श्रेणी में आते हैं। इस व्यवहार विशेषता से लैस लोगों ने अपनी टीमों ओर निजी जीवन में अनौपचारिक प्रशंसा प्राप्त की है। एक मास्टर का दिल एक बार 'गो गेटर' की भावना से सराबोर हो जाता है तब भी कोई चुनौती सामने आती है लेकिन जब असफलता एक मास्टर को मिलती है, वे तुरंत बाउंस बैक नहीं करते हैं।❑❑

इस्लामी दुनिया

कोविंद व हसीना ने आपसी हित के मामलों पर की चर्चा

ढाका : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ढाका में मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी हित एवं द्विपक्षीय सहयोग के कई मामलों पर चर्चा की। राष्ट्रपति कोविंद तीन दिवसीय दौरे पर पिछले दिनों बांग्लादेश में थे। कोविंद की यह पहली विदेश यात्रा थीं। उन्होंने बांग्लादेश के 50वें विजय समारोह दिवस में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

म्यांमार पर प्रतिबंध लगा रहा अमेरिका

कुआलांलपुर : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि फरवरी में तख़्तापलट की वजह से बाधित हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से देश के सैन्य नेताओं पर दबाव बनाने के लिए बाइडेन प्रशासन म्यांमार पर कड़े नए प्रतिबंध लगा रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि तख़्तापलट के बाद से 10 माह में म्यांमार में स्थिति बदतर हो गई है, जिसमें व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां और प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ हिंसा हुई है।

रूस पर और प्रतिबंध लगा सकता है ईयू

ब्रसेल्स : यूरोपीय संघ (ईयू) की कार्यकारिणी की प्रमुख ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वह पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला करता है तो ईयू के पास उसके ख़िलाफ़ कई अतिरिक्त प्रतिबंध तैयार हैं। यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने और विस्तार करने से इतर यूरोपीय संघ रूस के लिए गंभीर परिणामों के साथ अभूतपूर्व उपाय अपना सकता है।

विटामिन डी की कमी से बढ़ता है दिल की बामारियों का जोखिम

विटामिन-डी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसे हम सूरज की रोशनी से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के कई फंक्शन को पूरा करता है। बॉडी के लिए ज़रूरी कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन-डी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा हार्ट फंक्शन में भी विटामिन डी मदद करता है। एक ताज़ा अध्ययन में पाया गया है कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे दिल से संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है।

विस्फोटक राज़ दफन हैं माउंटबेटन की डायरियों में?

डॉ॰ चन्द्र त्रिखा

आख़िर क्या रहस्य क़ैद है लार्ड माउंटबेटन की इन डायरियों में, जिन्हें किसी भी कीमत पर प्राप्त करने व नष्ट करने के लिए ब्रिटेटन का सरकारी तंत्र इतना बेचैन है।

-क्या इन डायरियों में भारत विभाजन के समय गांधी, नेहरू, जिन्ना, लियाक़त, पटेल और रेडक्लिनफ की भूमिका पर कुछ तथ्यात्मक टिप्पणियां दर्ज हैं?

-क्या इन डायरियों में एडविना माउंटबेटन और नेहरू के मध्य पत्र व्यवहार की मूल प्रतियां दर्ज हैं।

-क्या इनसे तत्कालीन ब्रिटिश शासकों की विभाजक सोच के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं?,

-क्या, क्या दर्ज है इन डायरियों में, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन इनमें वर्ष 1947-48 के अनेक विस्फोटेक राज़ दफ़्न हैं?

इसमें कोई संदेह नहीं कि माउंटबेटन का संबंध राजपरिवार से था। वह ब्रिटिश की वर्तमान महामारी का नज़दीकी रिश्ते में भाई था। महारानी विक्टोरिया उसकी दादी लगती थी। उसकी गिनती द्वितीय विश्वयुद्ध के महानायकों में होती थी। वह ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। उसे भारत-पाक विभाजन की पेचीदा स्क्रिप्ट लिखने का दायित्व सौंपा गया था। राजवंश से ही जुड़े होने के कारण उसकी दादी रूस के ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय से ब्याही थी।

भारतीय उपमहाद्वीप में माउंटबेटन दम्पत्ति की भूमिका, नेहरू व जिन्ना के साथ एडविना के संबंध, रैडक्लिफ को भारत-विभाजन की रेखाएं खींचते समय बार-बार माउंटबेटन द्वारा दिए गए निर्देश, एडविना के साथ पत्र व्यवहार, नेहरू एडविना के मध्य व्यक्तिगत पत्र व्यवहार आदि सब कुछ दर्ज है इन डायरियों में।

डायरियों के विषय में बीच-बीच में जो खबरें आती रही हैं उनके अनुसार एडविना, माउंटबेटन से शादी पहले भी नेहरू से भारत में कई बार मिल चुकी थीं। माउंटबेटन भी संयोगवश एडविना से पहली बार वर्ष 1922 में दिलली में ही मिला था। तभी दोनों ने विवाह का निर्णय लिया लेकिन विवाह से पूर्व एडविना ने माउंटबेटन से कुछ भी नहीं छिपाया। नेहरू व एडविना के मध्य मैत्री संबंधों का भी माउंटबेटन को पता था। माउंटबेटन ने भी अपने विवाह पूर्व निजी प्रेम संबंधों के बारे में सब कुछ एडविना को बता दिया था।

ब्रिटिश सरकार इन डायरियों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए इन दिनों रोक लगाने की अदालतों में है। अब तक प्रकाशन रोकने के लिए सरकार छह लाख पौंड तक ख़र्च कर चुकी है। यह ख़र्च वकीलों की अदायगी पर किया गया है और अभी भी यह सिलसिला जारी हैं ब्रिटिश सरकार मानती है कि यह डायरियां प्रकाशित हो जाने से भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक महानायकों व ब्रिटिश की तत्कालीन सरकार के फैसलों पर बवंडर खड़े होंगे और ब्रिटेन के भारत व पाकिस्तान के साथ राजनैतिक संबंधों में भी दरारें आ सकती हैं।

ब्रिटिश सरकार इन डायरियों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए इन दिनों रोक लगाने की अदालतों में है। अब तक प्रकाशन रोकने के लिए सरकार छह लाख पौंड तक ख़र्च कर चुकी है। यह ख़र्च वकीलों की अदायगी पर किया गया है और अभी भी यह सिलसिला जारी हैं ब्रिटिश सरकार मानती है कि यह डायरियां प्रकाशित हो जाने से भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक महानायकों व ब्रिटिश की तत्कालीन सरकार के फैसलों पर बवंडर खड़े होंगे और ब्रिटेन के भारत व पाकिस्तान के साथ राजनैतिक संबंधों में भी दरारें आ सकती हैं।

डायरियों के अधिकांश अंश वहां के एक लेखक एंड्रयू लाउनी ने लार्ड माउंटबेटन के परिजनों से खरीदे हैं। मगर कुछ अनेक तथ्यों की पुष्टि के लिए ब्रिटिश अभिलेखागार से मदद चाहता है। इस मदद के लिए इंकार के साथ साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह एंड्रयू से वे डायरियां प्राप्त करना चाहती हैं और उनके प्रकाशन पर रोक लगाना चाहती है।

इसी मध्य डायरी के कुछ अन्य अंशों के आधार पद कुछेक बातें बाहर निकल आई है। एडविना की मृत्यु के बाद दरअसल माउंटबेटन भी बेहद उदास रहने लगा था। उन लम्हों में उसने अपनी अतीत की यादें डायरियों में लिख डालीं थीं। एक दिन वह अपने महलनुमा आवास के बेहद करीने से कटे संवरे लॉन में बैठा पिछले 15 वर्ष की स्मृतियों को तरतीब देने की कोशिश कर रहा था। गांधी, नेहरू, एडविना, जिन्ना, विभाजन के दंगे और वायसराय से गवर्नर जनरल तक के सफर की सभी स्मृतियां बार-बार ज़ेहन में कौंध रहीं थीं। वह एडविना से बेपनाह मुहब्बत करता था। उसे लगता था कि एडविना सिर्फ एक समर्पित पत्नी व अंतरंग मित्र ही नहीं, एक कुशल सलाहकार भी थी। वह किसी भी कटु या विपरीत हालात को बातचीत के अनुकूल बनाने में समर्थ सिद्ध होती थी। जवाहर, जिन्ना व कुछ अन्य भारतीय नेताओं को आसानी से बातचीत की मेज़ पर लाने का श्रेय एडविना को था।

जवाहर लाल नेहरू के प्रति एडविना के आकर्षण ने कभी उसे परेशान नहीं किया था। उसे एडविना पर सदा पूरा भरोसा था। वह पूरी तरह आश्वस्त था, कि एडविना सम्बंधों की मर्यादाएं बेहतर समझती थी। उसे अचानक याद आया एडविना 1960 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेने नई दिल्ली गई थी। उस बार वह साथ नहीं जा पाया था। एडविना ने स्वयं उसे दिल्ली प्रवास के फोटो भिजवाए थे। उन फोटो चित्रों में एडविना बेहद दिखाई दे रही थी हालांकि वह भी तब 58 वर्ष की हो चुकी थी, नई दिल्ली जाते ही मानो उसके चहरे पर सारी रौनक लौट आई थी। थोड़ा सा चुलबुलापन भी चेहरे पर लौटा था। मगर वह यात्रा एडविना की अन्तिम यात्रा थी।

नई दिल्ली से वह नेहरू के साथ एकाध दिन बिताने के बाद मलाया चली गई। वहां से वह ब्रूनेई और बोर्नियो गई। ये दोनों उसके प्रिय स्थल होते थे। शायद अन्तिम विदा से पहले एडविना सभी प्रिय स्थलों व प्रिय मित्रों से मिल लेना चाहती थी। वहीं उत्तरी बोर्नियो में ही एक रात उसने चुपचाप दम तोड़ दिया। तब उसके बिस्तर (बैड साइड) पर पुराने ख़तों का एक पुलिंदा बिखरा हुआ था। शायद अन्तिम लम्हों में एडविना, व ख़त पढ़ते पढ़ते ही अनंत नींद में सो गई थीं। अगले दिन लंदन में माउंटबेटन ने नम आंखों से एडविना के शव के सार्थी मले उस पुलिन्दे को देखा। उसने सारे ख़त एक-एक कर देखे, पढ़े। वे सभी ख़तर जवाहर लाल नेहरू ने उसके खतों के उत्तर में भेजे थे। माउंटबेटन को इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार का पहले भी पता था। कुछ भी गुप्त नहीं था मगर माउंटबेटन ने कभी दोनों के पत्रों को पढ़ा नहीं था। उसे सब सहज लगता था। वैसे भी उसे दोनों पर पूरा-पूरा भरोसा था। एडविना व नेहरू, दोनों से उसे वह प्रेम व सम्मान सदा मिला जिसका वह हक़दार था।

एडविना की मृत्यु ने उसे एकाएक थोड़ा धीर गंभीर बना दिया था। उसे सब याद था। वह एडविना के साथ बिताए गए हर लम्हे को एक लम्बी फिल्म की मानिंद देखता रहा था। उसे तभी याद आया था कि एडविना ने एक बार अपने अंतरंग लम्हों में उससे अपनी अन्तिम इच्छा जता दी थी। उसने आग्रह किया था कि जब वह मरे तो उसके शव को दफनाया न जाए, बल्कि समुद्र में बहा दिया जाए। उसे समुद्र व उसकी लहरों से बेहद प्रेम था। माउंटबेटन को लगा था, अन्तिम इच्छा का सम्मान होना चाहिए। उसने पूरे सम्मान के साथ एडविना के यूनियन जैक में लिपटे शव को 'पोर्ट्स माउथ' के किनारे से 'वेकफुल एचएमएस' समुद्री जहाज़ पर ले जाकर समुद्र की लहरों के सुपुर्द किया था। उस दिन भारत से प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एडविना के पसंदीदा फूलों की विशेष पुष्पांजलि भेजी थी। साथ ही भारत की ओर से 'त्रिशूल' पनडुब्बी भी भेजी गई थी, जो उस दिन एडविना के शव को ले जाने वाले 'वेकफुल एचएमएस' जहाज के आगे आगे बह रही थी। यही एक गहरे दोस्त व उसके देश की ओर से दी गई एक भावभीनी श्रद्धांजलि थी।

माउंटबेटन ने गीली आंखों से उस पुष्पांजलि को चूमा और उन्हीं उदास एवं नम फूलों के साथ उसने धीमे से अपनी हमसफर प्रिय एडविना का पार्थिव शव लहरों को सौंप दिया। उसे याद था, उसके बाद लगभग तीन वर्ष तक वह ठीक ढंग से सो नहीं पाया था। ऐसे ही अनेक राज़ दफ़् हैं इन डायरियों में। ❑❑

डायरी के कुछ अन्य अंशों के आधार पद कुछेक बातें बाहर निकल आई है। एडविना की मृत्यु के बाद दरअसल माउंटबेटन भी बेहद उदास रहने लगा था। उन लम्हों में उसने अपनी अतीत की यादें डायरियों में लिख डालीं थीं। एक दिन वह अपने महलनुमा आवास के बेहद करीने से कटे संवरे लॉन में बैठा पिछले 15 वर्ष की स्मृतियों को तरतीब देने की कोशिश कर रहा था। गांधी, नेहरू, एडविना, जिन्ना, विभाजन के दंगे और वायसराय से गवर्नर जनरल तक के सफर की सभी स्मृतियां बार-बार ज़ेहन में कौंध रहीं थीं। वह एडविना से बेपनाह मुहब्बत करता था। उसे लगता था कि एडविना सिर्फ एक समर्पित पत्नी व अंतरंग मित्र ही नहीं, एक कुशल सलाहकार भी थी।

विकास के दावे और उठते प्रश्न

अमरेन्द्र किशोर

अक्सर यह बात बहस मुबाहिसी में शुमार होती है कि देश के समृद्ध इलाकों के लोग निर्धन हैं। यानि जिन इलाकों के लोग निर्धन हैं। यानि जिन इलाकों में कुदरत के कुबेर की मेहरबानी है, वहां के लोग इतने बदहाल होते हैं कि आजादी हासिल किए जाने का मतलब समझ में नहीं आता। जैसे सात दशकों के बाद भी किसी तरह के बदलाव या सुधार का रास्ता हम तय नहीं कर सके हैं। यह सच भी है कि यदि सब कुछ ठीक रहता तो फिर देश में निर्धनता ज़िलों की सूचि व्यवस्था और सरकार को चुनौती देती क्यों दिखती। इलाक़ों की समृद्धि से अलग हटकर संसाधनों की उपयोगिता और समाज की आजीविका के काम आने वाले संसाधनों की उपलब्धता व वितरण को लेकर देश के कोने-कोने से कई तरह के सवाल उभर रहे हैं। सवाल अनाज और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हक़दारी और उससे आगे जीवन जीने के सवालों को लेकर भी है। तभी तो झारखंड के पाकुड़ जिले के एक पहाड़िया बहुल गांव की सोमारी ने आज से दो वर्ष पहले पूछा था कि उसकी ग़लती कहां है? उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में प्राथमिक इलाज के अभाव में सोमारी की बीस दिन की नवजात बेटी को बचाया नहीं जा सका था। व्यवस्था से सीधा प्रश्न नहीं पूछ सकने की विवशता लेकर जीने वाले ओडिशा के जाजपुर जिले के नागदा गांव के जुआंग आदिवासियों ने भी सरकार से जानना चाहा था कि आख़िर उनका कसूर क्या है, क्योंकि वर्ष 2016 में भूख कुपोषण के कारण इन आदिवासियों के बीस बच्चों की मौत ने उन्हें सदमे में डाल दिया था। इसी राजय के सुंदरगढ़ जिले के बोनाई अनुमंडल के किरी, केटा, कुंडला और कुनू जैसे दर्जनभर गांवों के आदिवासियों ने भी अपना गुनाह इस मुल्क की व्यवस्था से पूछा था, जहां भात के बिना उपजे भुखमरी के हालात में दरवाजे-दरवाज़े मौत के हरकारे दस्तक देने लगे थे।

विकास से मुक्त बदहाल समाज को लेकर कही गई ये बातें साधारण नहीं हैं। पिछले चार दशकों का भारत का राजनीतिक इतिहास खंगालें तो देखने को मिलेगा कि बदहाल राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व के तमाम प्रयोग और प्रयास पूरे किए जा चुके हैं। लगभग सारे राजनीतिक दलों को सूबों से लेकर केन्द्र तक आज़माया जा चुका है, बल्कि जहां सत्ता में बदलाव का जोखिम उठाया गया, जहां राजनीति के तमाम प्रयोग किए गए, जहां लोकतंत्र के अनेकानेक अनुष्ठानों का यज्ञ भी किया गया, वहां खासतौर से निर्धनता और वंचना के आंतरिक यथार्थ का रंग ज़्यादा गहराया। इस प्रकार, गांवों को लेकर कागज़ी आंकड़े कितने भी दुरुस्त क्यों न किए गए हों, लेकिन विकास के तमाम नुस्खे असाध्य ग़रीबी के सामने निष्फल साबित हुए हैं। आरोपों की राजनीति के दो पाटों के बीच बहती सामाजिक न्याय और समरसता की धार में कल्याण, विकास, आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों को निखाने जाने का जमकर प्रचार ज़रूर किया गया है, मगर ग़रीबी का दायरा सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता का असली उद्देश्य और अर्थ क्या है?

प्रश्न यह है कि पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी कितना विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर, ओडिशा में संयुक्त राष्ट्र की चार विकास एजेंसियों- यूनाइटेड नेशन डेवपलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फण्ड (यूनिसेफ) और यूनाइटेड नेशनल पापुलेशन फण्ड के अलावा विश्व बैंक की भी मौजूदगी है लेकिन वहां की ज़िन्दगी में विडंबनाओं के अंबार और विरोधाभास देखने को मिलते हैं। लोगों के पक्के मकान हैं, घर में अनाज है, बैंक में खाते हैं, खातों में पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास चावल वाला खैराती कार्ड भी है। भयानक बर्बादी के बाद भी वहां कुदरती संसाधन हैं। जल-जंगल और जमीन है लेकिन वहां वंचना है, शोषण है और पलायन है।

स्थानीय संसाधनों की महत्तम उपयोगिता से मज़बूत आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास के दावे देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन विडंबनाओं की फेहरिस्त भी छोटी नहीं है। सात दशक से भी ज़्यादा पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के बीच जीर्ण-शीर्ण साक्षरता दर को लेकर उस वक्त उदासी छा जाती है जब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में महिला साक्षरता दर का आंकड़ा 30.29 प्रतिशत और बीजापुर में 50.46 प्रतिशत होने का सच खुल कर सामने आता है। इसी तरह दक्षिण ओडिशा के मलकानगिरी में दिमाग़ी मलेरिया से देश में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। आंकड़ों के इस समीकरण में ये तमाम जिले उन्हीं वजहों से बेहद पिछड़े हैं जिन वजहों से देश के आदिवासी मुख्यधारा से बहुत दूर नज़र आते हैं। अन्यथा 2011 की जनगणना में ऐसे तिरानवे जिले (पाकुड को छोड़कर) जहां आदिवासियों की आबादी पचास प्रतिशत से ज़्यादा है, निर्धनतम जिलों की सूचि में क्यों आते?

प्रश्न यह है कि पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी कितना विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर, ओडिशा में संयुक्त राष्ट्र की चार विकास एजेंसियों- यूनाइटेड नेशन डेवपलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फण्ड (यूनिसेफ) और यूनाइटेड नेशनल पापुलेशन फण्ड के अलावा विश्व बैंक की भी मौजूदगी है लेकिन वहां की ज़िन्दगी में विडंबनाओं के अंबार और विरोधाभास देखने को मिलते हैं। ओडिशा में सुखद नहीं है। लोगों के पक्के मकान हैं, घर में अनाज है, बैंक में खाते हैं, खातों में पैसे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास चावल वाला खैराती कार्ड भी है। भयानक बर्बादी के बाद भी वहां कुदरती संसाधन हैं। जल-जंगल और जमीन है लेकिन वहां वंचना है, शोषण है और पलायन है। गांवों में पंचायत है, वहां राजनीतिक दलों के एजेंट हैं, जनवादी विकास के पोस्टर हैं, पर साथ ही उन्हीं गांवों में राशन कार्ड गिरवी रखकर कर्ज़ जुटाते किसान हैं। बाहर जाकर अपना श्रम बेचने वाले मजदूर हैं। महिलाएं नवजात शिशु बेचने को मजबूर होती हैं। प्रश्न है कि फिर गलती कहां हो रही है? अकेला ओडिशा ही क्यों, यवतमाल, मुर्शिदाबाद और बेलगाम को कोई भला कैसे भूल सकता है? देशभर में सबसे अविवाहित माताएं यवतमाल जिले में हैं। मुर्शिदाबाद देह तस्करी में बहुत आगे है और बेलगाम में आज भी देवदासी प्रथा मौजूद हैं इस तरह के कुत्सित व्यापार, कलंक प्रथाएं और नारी शोषण की बेलौस उपस्थिति के कारणों को खोजें तो सवाल उठता है कि क्या कोई मुहिम पूरी हुई है? बाल दासता, बंधुआ मुक्ति, पतिता उद्धार से लेकर पहाड़ों और कुदरती संसाधनों को बचाने की कोई ज़िद्द सार्थक हुई है.?

इस बात के लिए ज़िम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की राजपुरा तहसील में मात्र 11.10 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं तो राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटला तहसील का यह आंकड़ा 11.11 फीसद का है। एक बड़ा सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बाल मज़दूर राजस्थान में है। विकास के विरोधाभास के ढांचे में बलिया जिला की तस्वीर कितनी डरावन है जहां सालाना शिशु मृत्यु दर बावन प्रतिशत है। विकास के सारी दावेदारियों के बावजूद हक़ीक़त यह है कि ग्रामीण इलाकों के बयासीस प्रतिशत घरों को डेढ़ से दो किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी जुटाना पड़ता है। इस दूरी को सरकारें पाट नहीं सकी है। बारिश के दिनों में बाढ़ से बिहार में गांव डूबते हैं तो साथ में कागज़ों पर पहले तालाबों खोदकर बाढ़ में उन्हें भरने का टेंडर भी निकाले जाने का इतिहास है। झारखंड के पलामू में कागज पर इतने कुएं खोद गुए हैं कि यदि उन्हें वास्तविक धरातल पर लाया जाएं तो हर क़दम पर कुआं दिखेगा। तभी तो प्यासों की सूचि में पलामू काफी आगे दिखता है। ऐसे में यह प्रश्न ज़रूरी हो जाता है कि सरकारी खज़ाने से विकास के नाम पर निकला पैसा आखिर छोर पर नहीं पहुंचने की पीछे की वजहें क्या हैं? विकास की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के रहते तमाम तरह की ग़रीबी की मौजूदगी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ऐसे सवाल लोकतंत्र को लांछित करते हैं। अगर सही मायनों में देश में विकास की धारा बही होती तो जंगलों में रहने वाले अल्प शिक्षित या ग्यारह प्रतिशत से भी कहीं कम साक्षरता की तथाकथित उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती। आदिवासी जब अंग्रेजी में लिखे 'विकास विरोधी' और 'सरकार विरोधी' पोस्टर लेकर जंगलों से और अपनी बस्तियों से निकलते हैं तो यह प्रश्न अवश्य पूछना होगा कि विकास के नाम पर हमने अब तक किया क्या है? ❑❑

ख़ास ख़बरें

वायरस एशियाई खाद्य सुरक्षा को कर रहा है प्रभावित : एफओ

बैंकॉक : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक महामारी और बढ़ती कीमतें एशिया में लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं और 1.8 अरब लोगों के पास स्वस्थ आहार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में लोगों की भोजन तक पहुंच की स्थिति खराब हो गई हे और इस वर्ष और भी खराब हो गई क्योंकि सरकारों ने यात्रा और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करके महामारी को दूर रखने के लिए प्रयास किए।

रूसी दूतावास को जारी किया नोटिस

जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने रूस में एक भारतीय नागरिक का पार्थिव शरीर जुलाई से फंसे होने के मामले में देश के दिल्ली स्थित दूतावास को नोटिस जारी किया। अदालत ने केन्द्र सरकार, रूस में भारतीय दूतावास को भी ऐसे ही नोटिस जारी किए। अदालत ने कहा, 'यह अदालत भारत में रूस के दूतावास या रूसी संघ की सरकार को एक रिट जारी करने की अपनी सीमाओं से अनजान नहीं है।

सीबीआई के समन को चुनौती देने वाली यचिका ख़ारिज

मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के सिलसिले में जारी समन निरस्त करने और स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आग्रह किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल की शुरूआत में दायर इस याचिका में (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध किया था।

छह लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी

पिछले पांच सालों में तकरीबन छह लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने नागरिकता छोड़ दी। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1,33,83,718 भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं। 2021 में गत 30 सितंबर तक 1,11,287 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है।

बेहतरीन अख़लाक़ पैदा करता है दीन इस्लाम

ईमान के बाद सबसे मुकद्दस चीज नमाज़ यानि इबादत है, इसके बाद बन्दों के हुकूक़ आते है, जिनके लिए इस्लाम ने ज़कात फर्ज़ की है, चुनांचे यह तीनों चीज़ें इंसानों के अंदर अख़लाक़ पैदा करने का बाइस बनती हैं। इसमें शक़ नहीं कि दुनिया के सारे मज़हबों की बुनियाद अच्छे अख़लाक़ और अख़लाक़ हसनह पर ही है। इस दुनिया में जितने भी पैग़म्बर और मुस्लेह और रीफार्मर आए सब की यही तालीम थी कि सच बोलना अच्छा और झूठ बोलना बुरा, इंसाफ करना भलाई और जुल्म करना बुराई है, ख़ैरात नेकी और चोरी बदी है। गो यह बातें जुमला मज़ाहिब में पाई जाती हैं लेकिन इस्लाम में इस बारे में एक मुकम्मल और अमली सूरत पेश की गई है।

रसूल सल्ल॰ फरमाते हैं ''मैं अच्छे अख़लाक़ की तकमील के लिए भेजा गया हूं।'' (मुअत्ता इमाम मालिक)

एक हदीस में जो मुस्नद अहमद, बैहक़ी और इब्ने सअ्द में है इससे ज़्यादा वज़ाहत की गई है, आप सल्ल॰ ने फरमाया :-मैं तो इसी लिए भेजा गया हूं कि मकारिमे अख़लाक़ की तकमील करूं।'' चुनांचे जैसे ही आप नबी मबऊस हुए आपने अख़लाक़े हसनह की तब्लीग़ का फर्ज़ अंजाम देना शुरू कर दिया। आप मक्का ही में थे कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ि. ने अपने भाई को आप सल्ल॰ के हालात मालूम करने के लिए भेजा, उन्होंने वापस जाकर आप सल्ल॰ के बारे में यह इत्तिलाअ् दी:

''मैंने उनको देखा, वह लोगों को अख़लाक़े हसनह की तालीम देते हैं।''

कुरआन मजीद में बहुत सी जगहों पर आंहज़रत सल्ल॰ के मुतआल्लिक़ यूं इर्शाद फरमाया :

''वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया जो उन्हें इसी किताब की आयात सुनाते हैं, उनकी ज़िन्दगी संवारते हैं और उनको किताब और हिक्मत की तालीम देते हैं, हालांकि इससे पहले वह गुमराही में पड़े हुए थे।'' यहां यह बात भी काबिले तवज्जोह है कि ज़कात का लफ़्ज़ तज़्किया से माखूज है और तज़्किया के माना पाक व साफ करना, निखारना, मैल कुचैल दूर करना है। अल्लाह तआला रसूल अल्लाह सल्ल॰ का यह फर्ज़ क़रार देता है कि आप इंसानी नुफूस को ज़िला (रौशनी, चमक) दें और उनको बुराईयों और गंदगियों से पाक करें और उनके अख़लाक़ संवारें और आमाल दुरुस्त करें।

अख़लाक़ अस्ल मक़सूद है

इस से इंकार नहीं कि इस्लाम में इबादत और दूसरे अहकाम को बड़ी अहमियत दी गई है लेकिन उसकी नज़र में अख़लाक़ की इससे कम अहमियत नहीं। कुरआन मजीद में इर्शाद होता है ''ऐ लोगों जो ईमान लाए हो रुकूअ और सज्दा करो और अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो शायद तुमको फ़लाह नसीब हो।''

गोया ईमान लाने के बाद दावते मुहम्मदी सल्ल॰ के जिस्म के दो बाजू हैं एक इबादत और दूसरा अख़लाक़, एक ख़ालिक़ का हक़ और दूसरा मख़लूक़ का हक़ और इन्हीं दो के मज़मूए का नाम इस्लाम है। एक और नज़र से देखा जाए तो मालूम होगा कि तालीमे मुहम्मदी ने अख़लाक़ की अहमियत इबादत से भी बढ़ा दी है। अख़लाक़ दरअसल नाम है बंदों के हुकूक़ का यानि इंसानों में आपस में तआल्लुक़ात

ईमान लाने के बाद दावते मुहम्मदी सल्ल॰ के जिस्म के दो बाजू हैं एक इबादत और दूसरा अख़लाक़, एक ख़ालिक़ का हक़ और दूसरा मख़लूक़ का हक़ और इन्हीं दो के मज़मूए का नाम इस्लाम है। एक और नज़र से देखा जाए तो मालूम होगा कि तालीमे मुहम्मदी ने अख़लाक़ की अहमियत इबादत से भी बढ़ा दी है। अख़लाक़ दरअसल नाम है बंदों के हुकूक़ का यानि इंसानों में आपस में तआल्लुक़ात और मामलात का और इबादात हैं हक़ूक़ुल्लाह यानि खुदा के फराइज़ जो बंदों पर वाजिब है।

और मामलात का और इबादात हैं हक़ूक़ुल्लाह यानि खुदा के फराइज़ जो बंदों पर वाजिब है।

अल्लाह तआला ने जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है शिर्क और कुफ़्र के सिवा हर गुनाह को काबिले माफ़ी क़रार दिया है मगर बंदों के हुकूक़ यानी इंसान जो एक दूसरे के साथ ज़्यादती करें और एक दूसरे का हक़ मारें उसकी माफ़ी अल्लाह ने अपने हाथ में नहीं रखी बल्कि बंदों के हाथ में रखी है जिन पर ज़्यादती और जुल्म हुआ है।

रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया ''जिस भाई ने दूसरे भाई पर जुल्म किया हो तो उस (ज़ालिम भाई) को चाहिए कि इस दुनिया में वह उस (मज़लूम भाई) से माफ़ करा ले वर्ना वहां तावान अदा करने के लिए किसी के पास कोई दिरहम या दीनार न होगा सिर्फ आमाल होंगे, ज़ालिम की नेकियां मज़लूम को मिल जाएंगी और नेकियां न होंगी तो मज़लूम की बदियां ज़ालिम के नामए आमाल में दर्ज कर दी जाएंगी। सही बुख़ारी)

एक और हदीस में है कि क़यामत के दिन आमाल के तीन नविश्ते होंगे, एक वह जिसकी अल्लाह तआला कोई परवाह न करेगा। दूसरा वह जिसमें से अल्लाह तआला एक हर्फ़ भी न छोड़ेगा और तीसरा वह जिसमें से कुछ माफ़ न फरमाएगा। जिस नविश्ते के गुनाह माफ़ न होंगे वह शिर्क़ है और जिस नविश्ते की अल्लाह को कोई परवाह न होगी वह जुल्म है जो इंसान ने खुद अपने ऊपर किया और जिसका मामला खुद उस बन्दे और उसके अल्लाह के दर्मियान है जैसे उसने रोज़ा न रखा हो या नमाज़ न पढ़ी हो तो अल्लाह तआला जिसे चाहेगा उसके उस नविश्ते के गुनाह माफ़ कर देगा और बख़्श देगा लेकिन वह नविश्त जिसका एक हर्फ़ भी छूट नहीं सकता वह जुल्म है जो एक बन्दे ने दूसरे बन्दे पर किया है। (मुस्नद अहमद, हाकिम अन आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा)

एक ग़लतफ़हमी का एज़ाला

अहादीस में बार-बार आया है कि इस्लाम के पांच अरकान हैं और यह कि इस्लाम की इमारत ईमान के बाद नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज के चार सुतूनों पर क़ायम बताई गई हैं यहां यह ग़लतफहमी पैदा होती है कि इस्लाम की इस इमारत में अख़लाक़े हसनह को कोई जगह नहीं दी गई है हालांकि इबादात से एक मक़सद इंसान के अंदर अच्छे अख़्लाक़ पैदा करना है। कुरआन मजीद ने हर जगह इसका नुमाया तरीक़े से ज़िक्र किया है, चुनांचे नमाज़ का एक फायदा कुरआन मजीद ने यह भी बताया है कि नमाज़ बुरी बातों से रोकती है। रोज़े की बाबत फरमाया कि रोज़ा तक़्वा की तालीम देता है। ज़कात सर ता पा इंसानी हमदर्दी और ग़मख़्वारी का सबक़ है और हज भी मुख़्तलिफ़ तरीकों से हमारी अख़लाक़ी इस्लाह करता है। ग़र्ज़ इस्लाम के इन चारों अरकान के नाम अगरचे अलग अलग हैं मगर उनके बुनियादी मक़ासिद में अख़लाक़ी तौर पर एक अस्ल उसूल के अंदर दाख़िल हैं अगर इन इबादात से अख़लाक़ का समरह हासिल न हो तो समझ लेना चाहिए कि यह इबादात महज़ अल्लाह के अहकाम को यक़ीनन बजा लाना है और उनसे इबादत का अस्ल जौहर ख़ाली है, चुनांचे वह ऐसे दरख़्त हैं जिनमें फल नहीं फूल हैं और वह भी बेखुश्बू जिस्म हैं लेकिन बेरूह और मुर्दा। ❑❑

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल फील नं॰ 105)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

(सूरा अल फील नं॰ 105)

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें 05 आयते हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया?

अर्थात् हाथी वालों के साथ तेरे रब (पालनहार) ने जो मामला किया वह तुमको अवश्य ज्ञात होगा क्योंकि यह घटना हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के जन्म से कुछ दिन पूर्व हुई थी और बहुत अधिक प्रसिद्धी और असंख्य लोगों की जानकारी के कारण बच्चे-बच्चे की ज़बान पर थी इसी प्रसिद्धी के कारण इस घटना की जानकारी को देखना कहा गया है।

क्या उनका दाव ग़लत नहीं कर दिया।

अर्थात् वे लोग चाहते थे कि मक्का में अल्लाह का द्वार (काबा) उजाड़ करके अपना बनावटी द्वार आबाद करें। यह न हो सका, अल्लाह ने उनके सब दांव-पेंच ग़लत और तमाम योजनायें प्रभावहीन कर दीं। काबे की तबाही के विचार में वह स्वयं ही तबाह व बर्बाद हो गये।

और उन पर झुंड के झुंड पक्षी भेजे जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे।

हाथी वालों का क़िस्सा संक्षेप में यह है कि हब्शा के बादशाह की ओर से यमन में अबरहा नामी एक गवर्नर रहता था। उसने देखा कि तमाम अरब के लोग काबे का हज करने जाते हैं। चाहा कि हमारे पास इकट्ठे हुआ करें। उसका उपाय यह सोचा कि अपने ईसाई मज़हब के नाम पर एक बड़ा गिरजा बनाया जाये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराम और हृदयाकर्षक वस्तुयें हों। इस प्रकार लोग वास्तविक और साधारण काबे को छोड़कर सुख और वैभवपूर्ण काबे की ओर आयेंगे और मक्का का हज छूट जायेगा। इसी उद्देश्य से सनआ में (जो यमन का बड़ा शहर है) अपने बनावटी काबे की नींव रखी और खूब दिल खोलकर रुपये ख़र्च किये। इस पर भी लोगों का आकर्षण उधर नहीं हुआ। अरब के लोगों को विशेष कर कुरैश को जब इसका पता चला तो बड़े क्रोधित हुए किसी ने क्रोधित होकर वहां जाकर टट्टी कर दी और कुछ का कहना है कि अरब के लोगों ने आग जलाई थी जो हवा में उड़कर उस भवन में जा लगी। अबरहा ने झुंझला कर काबे पर चढ़ाई कर दी। भारी फौज और हाथी लेकर इस इरादे से चला कि काबे को खंडहर बना देगा, रास्ते के जिस कबीले ने उसको रोका उसे मारा और अधिकार में कर लिया। हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के दादा अब्दुल मुत्तलिब उस समय कुरैश के सरदार और काबे के प्रबंधक थे। उनको सूचना मिली, तो कहा लोगों, अपना बचाव कर लो। काबा जिसका घर है वह स्वयं इसका बचाव कर लेगा। अबरहा ने रास्ता साफ देखकर यक़ीन कर लिया कि अब काबे को गिरा देना कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि उधर से कोई मुक़ाबला करने वाला नहीं था। जब मुहस्सर की घाटी (जो मक्के के समीप है) में पहुंचा तो समंदर की ओर से सब्ज़ और जर्द हरे, पीले रंग के छोटे छोटे पक्षियों की टुकड़ियां उड़ती नज़र आई, प्रत्येक की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। इन विचित्र पक्षियों के दल के दल कंकरियां फौज पर बरसाने लगे अल्लाह की क़ुदरत वह कंकरी की पथरियां बन्दूक की गोली से अधिक काम करती थी, जिसको लगती एक ओर से घुसकर दूसरी ओर निकल जाती और एक प्रकार का ज़हरीलापन उनके अंदर छोड़ जाती। बहुत से वहीं मर गये जो भागे वह दूसरी बड़ी बड़ी तकलीफें उठाकर करे। यह घटना हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ के जन्म से पचास दिन पहले घटित हुई बल्कि कुछ कहते हैं कि उसी दिन आपका जन्म हुआ। तात्पर्य यह है कि यह एक आसमानी निशान आपके आने का था और एक अप्रत्यक्ष संकेत था कि जिस प्रकार अल्लाह ने विचित्र रूप से अपने घर की रक्षा की है, इसी प्रकार उस घर के सबसे पाक प्रबंधक और सबसे बड़े रसूल की रक्षा भी इसी प्रकार करेगा और ईसाई या किसी दूसरे मज़हब को अवसर न देगा कि वह काबा और काबे के सच्चे सेवकों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें।

रुकूं नं॰ 1

सो अल्लाह ने उनको खाये हुए भूसे की भांति कर डाला।

जो बैल गाय आदि घास खासकर छोड़ देते हैं ऐसा बचा हुआ घास बेहाल बिखरा हुआ बदसूरत और निकम्मा चूरा-चूरा।

उत्तराखंड नाराज़ ब्राह्मण मतदाता क्या भाजपा के पाले में लौटेंगे?

उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने विवादास्पद देवस्थानम बोर्ड भंग कर उसे विधानसभा सत्र में वापस लेने का ऐलान का उत्तराखंड की राजनीति में ब्राह्मण पत्ता खेल कर राजनीति को बदल दिया है और जनता पार्टी के पहाड़ के परम्परागत ब्राह्मण मतदाताओं की नाराज़गी दूर करने का एक बड़ा दांव चला है। धामी ने अपनी सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान किया था, पूरे राज्य में ब्राह्मणों ने जगह जगह भाजपा सरकार और उसके मुखिया रहे त्रिवेन्द्र सिंह रावत के पुतले फुंके थे दो सालों तक यह आंदोलन चलता रहा जिसने भाजपा आलाकमान को चिंता में डाल दिया था। हरिद्वार कुंभ में साधु संतों के जमावड़े से पहले ही त्रिवेन्द्र रावत को इस मुद्दे पर अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उनकी जगह तीरथ सिंह रावत ने ली जिन्होंने सत्ता में आते ही देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने का ऐलान किया।

अपने विवादास्पद बयानों के कारण सत्ता से बेदख़ल हुए तीरथ सिंह रावत की जगह युवा पुष्कर सिंह धामी ने ली तो उन्होंने ब्राह्मणों की नाराज़गी को देखते हुए प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे के एक दिन पहले तीर्थ पुरोहितों को केदारनाथ धाम में वचन दिया कि वे 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड के बारे में ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला करेंगे।

धामी ने 30 नवंबर की सुबह देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया और 6 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की अपनी घोषणा पर मुहर लगवा दी।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत के कार्यकाल में ब्राह्मण मतदाता भाजपा से पूरी तरह दूर चला गया था और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेलकर अपनी राजनीतिक स्थिति मज़बूत की थी। उधर, दलित नेता यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ने और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रह रहे किसान आंदोलन के कारण सिख मतदाताओं के नाराज़ होने के कारण भाजपा अपने परंपरागत मतदाता ब्राह्मणों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।

धामी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के पूर्व सदस्य और ब्राह्मण समुदाय में अपनी अच्छी पैठ रखने वाले मनोहरकांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। 30 नवंबर से तीन दिन पहले ध्यानी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए तीन कैबिनेट मंत्रियों सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल व स्वामी यतीश्वरानंद की मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की और साथ ही उपसमिति को दो दिन के भीतर अपनी संस्तुति देने को कहा था। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट मिलते ही मुख्यमंत्री धामी ने बिना देर किए 30 नवंबर को देवस्थानम बोर्ड भंग करने का ऐलान किया।

देवस्थानम बोर्ड वापस लेने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि देव स्थान हमारे लिए सर्वोपरि रहे हैं। आस्था के इन केन्द्रों में सदियों से चली आ रही परंपरागत व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। गहन विचार विमर्श और सर्व सहमति के बाद ही सरकार ने देवस्थानम अधिनियम को वापस लेने का निर्णय लिया है।

दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के डर से डरी हुई भाजपा की सरकार ने आनन-फानन में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। राज्य की जनता भाजपा की असलियत को पूरी तरह समझ गई है कि वह धर्म विरोधी हैं। जिस हिन्दू धर्म का ढिंढोरा पीट कर भाजपा सत्ता में आई थी उस धर्म की सदियों से चली आ रही परंपरागत भावनाओं एवं धारणाओं को भाजपा ने अपने शासनकाल में सत्ता के अहंकार में कुचला है अब भाजपा चुनाव के डर से मगरमच्छ के आंसू बहा रही है जिसका फायदा भाजपा को विधान सभा चुनाव में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता भाजपा की असलियत पहचान चुकी है।

उ० प्र० -17 जातियों को साने में जुटे राजनेता

उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत-हार का अंतर तय करते आए हैं। अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन्हीं जातियों को साध कर प्रदेश की सत्ता पर काबिज़ होने की कोशिशों में जुट गए है। यूपी में इस वक्त दलित मतदाता 25 प्रतिशत, ब्राह्मण 10 प्रतिशत, क्षत्रिय 10 प्रतिशत, अन्य अगड़ी जातियां पांच फीसद, पिछली जातियां 35 फीसद हैं।

दो दशक से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में जातियों को साध कर सियासत करने वाली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक मतदाता को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। चार बार प्रदेश में सरकार बनाने वाली सपा और बसपा के हाथों से उनका पारंपरिक वोट बैंक छिटक चुका है। इस बात का अहसास समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती को बहुत पहले ही हो चुका था कि उनका पारंपरिक मतदाता उनसे दूर जाने लगा है। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों के आक़ाओं ने प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करा पाने में नाकाम रहे। मुलायम सिंह सरकार ने 2005 में इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का आदेश जारी किया था लेकिन उनके इस फैसले पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसके बाद इन जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया, लेकिन उसके पहले ही प्रदेश में 2007 में सरकार बदल गई और मायावती की सरकार आते ही इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई।

अखिलेश सरकार में भी इन 17 जातियों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। दिसंबर 2016 में अखिलेश सरकार ने इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की कवायद की। लेकिन नाकाम रहे। जिससे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जातियां भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा खड़ी हुईं। जिन 19 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के वादे क्षेत्रीय दलों ने किए थे, उनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मुछआरे शामिल हैं। इस 17 जातियों की प्रदेश में कुल आबादी 13 प्रतिशत है। ये 13 फीसद वोट किसी भी राजनीतिक दल को बड़े अंतर से जीत दिलाा पाने की ताक़त रखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर 1.32 फीसद, कुम्हार और प्रजाति 1.84 फीसद और गोंड 0.22 फीसद हैं इनके अलावा बाकी की 13 जातियां निषाद समुदाय से आती हैं। इनमें निषाद, बिन्द, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, कहार, धीमर, मांझी, और तुरहा जातियां मिला कर 10 फीसद हैं इन 17 जातियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अनुसूचित जातियों में शामिल करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश में 20.07 फीसद दलित आबादी है। जाटव, वाल्मीकि, धोबी, कोरी, पासी, चमार, धानुक समेत 66 उपजातियां हैं। इन्हें प्रदेश में 21 फीसद आरक्षण मिल रहा है। जबकि अन्य पिछली जातियों को प्रदेश में 27 फीसद आरक्षण मिल रहा है। यदि मुस्लिम ओबीसी को भी शामिल कर लिया जाए तो प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52 फीसद है। इन जातियों को साधने की कोशिश में लगे अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन किया है, ताकि वे 17 जातियों से किए गए वादे को न निभा पाने की भरपाई कर सकें। ❑❑

एमएसपी क़ानून से होंगी संवैधानिक समस्याएं : प्रो० रमेश चंद

किसानों के विरोध के चलते केन्द्र सरकार को तीनों कृषि क़ानून रद्द करने पड़े। अब किसान संगठन एमएसपी कानून के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। एमएसपी पर कानून बनाना कितना संभव है। केन्द्र सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था, सरकार उसे कैसे पूरा कर पाएगी? इन मुद्दों पर नीति आयोग के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री प्रो. रमेश चंद से बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- माना जा रहा है कि कृषि क़ानूनों को वापस लिया जाना इस क्षेत्र में सुधारों के लिहाज़ से झटका है। आपकी क्या राय है.?

उत्तरः- कृषि क़ानून वापस होना निराशाजनक है। पिछले 20 सालों से इन कानूनों को लेकर सिर्फ चर्चा हो रही थी। इसको लागू करने की दिशा में क़दम नहीं उठाए जा रहे थे। इस दिशा में हमारी और केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को कदम उठाने के लिए कहा गया था। राज्यों की ओर इस इस दिशा में क़दम उठाने की बात कही जाती थी, पर ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया। राज्यों की सरकारें कृषि व्यापारियों, बिचौलियों और किसान संगठनों के दबाव में इन महत्वपूर्ण कानूनों को लागू नही कर रही थी। इसको लेकर फिर केन्द्र सरकार को दख़लंदाज़ी करनी पड़ी और केन्द्र ने कृषि क़ानूना लागू कर दिए। जिसको इससे फायदा होता हुआ नहीं दिखा, उन्होंने पुरज़ोर विरोध किया। वहीं जिन किसानों को इस क़ानून से फायदा होता, वो एकत्रित होकर सामने नहीं आए। यह हमारे देश का लोकतंत्र है। जनता के विरोध के कारण सरकार को अपने क़दम पीछे लेने ही पड़ते हैं।

प्रश्नः- क्या एमएसपी की गारंटी देने से महंगाई बढ़ेगी? क्या इससे मौद्रिक नीति पर भी असर पड़ेगा?

उत्तरः- इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि आप किस एमएसपी को लीगल मानते हैं। एमएसपी की तो कोई परिभाषा निर्धारित नहीं है। 2018 में एक नई एमएसपी सामने आई, उससे पहले एक अलग तरह की एमएसपी थी। यदि देश एक मार्केट आधारित कीमत को एमएसपी बनाता है तब उसका जो सरकार पर बोझ पड़ेगा, अगर वह लीगल भी होगा, तो भी वह बहुत कम होगा। पर बोझ को सरकार आसानी से उठा लेगी। लेकिन अभी जो एमएसपी चल रही है उसमें 50 प्रतिशत किसान का नेट प्रॉफिट शामिल है। इसका एक हिस्सा कीमत है जो किसान की लागत पर आधारित है। यदि हम मौजूदा एमएसपी के सिस्टम को लीगल मानकर कैलकुलेशन करते हैं तो कृषि क्षेत्र के जानकारों की जो चिंता है, बिल्कुल वाजिब है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर ख़त्म हो जाएगा, निर्यात बंद हो जाएंगें। इसके और कई बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि किस एमएसपी को लीगल किया जाता है, यह उस पर निर्भर करेगा। अगर एक रीजनेबल एमएसपी को लीगलाइज किया जाता है, तब हम इन प्रभावों को देख सकते हैं। दुनिया के कुछ देश है जो किसानों को एमएसपी इंश्योर करते हैं। इन देशों ने भी एमएसपी को लीगल नहीं किया है। एमएसपी लीगल करने से भविष्य में अनेक संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे जुड़ी व्यवस्था में बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसानों को सरकार द्वारा एमएसपी पर किया गया वादा अहम है बजाय इसके कि इस पर कोई ठोस कानून बनाया जाए।

प्रश्नः- सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। इस मामले में कहां तक प्रगति हुई है?

उत्तरः- इसके लिए ज़मीनी स्तर बदलाव करने की आवश्यकता है, तभी किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके लिए हमने नीति आयोग में

बाक़ी पेज 11 पर

एजाज़ के कारनामे को क्रिकेट जगत ने किया सल्लाम

न्यूजीलैंड के बाए हाथ के स्पिनर एजाज पटेल के टैस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने के शानदार कारनामे की चारों चर्चा रही, इसे क्रिकेटरों ने अविश्वसनीय और 'विशेष' प्रयास करार दिया। अपनी झोली में सभी 10 विकेटों के साथ पटेल न्यूजीलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज़ बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड दिग्गज रिचर्ड हैडली के नाम था जिन्होंने 1985 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 रन देकर नौ विकेट लिए थे।

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 1999 में दिल्ली में दूसरी पारी के दौरान सभी 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले ने टवीट किया, 'ऐजाज पटेल क्लब (10 विकेट लेने वालों) में आपका स्वागत है।' 'परफेक्ट-10' शानदार गेंदबाज़ी। टैस्ट मैच के पहले और दूसरे दिन ऐसा करना बेहद विशेष उपलब्धि है। उन्होंने एक वीडियो में कहा, 'यहां से आप से उम्मीदें बढ़ेंगी। लोग अब आपसे 10 विकेट लेने की उम्मीद करेंगे।' इस मैच में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे न्यूजीलैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ साइमन डौल ने टवीटर पर लिखा, 'मुझे अपनी 15 वर्ष की कमेंट्री में न्यूजीलैंड की ओर से कुछ अविश्वसनीय चीजें देखने का सौभाग्य मिला है और आज भी कुछ वैसा ही है। एजाज़ पटेल यह खास उपलब्धि है।' भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने टवीट किया, 'क्रिकेट के खेल में सबसे कठिन चीज़ों में से एक। एक पारी में पूरी टीम को आउट करना सच में बहुत ख़ास है। यह अविश्वसनीय जैसा है। शाबाश -एजाज़ पटेल।' आस्ट्रेलिया के सीमित ओवर प्रारूप के कप्तान आरोप फिंच ने कहा, 'यह सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। एजाज़ पटेल, क्या शानदान प्रदर्शन है।'

इस उपलब्धि पर अनिल कुंबले ने 'ऐजाज पटेल क्लब-10 में आपका स्वागत है। परफेक्ट 10 शानदार गेंदबाज़ी। यहां से आप से उम्मीदें बढ़ेंगी। लोग अब आपसे 10 विकेट लेने की उम्मीद करेंगे।

रविशास्त्री ने कहा ''क्रिकेट के खेल में सबसे कठिन चीज़ों में से एक। एक पारी में पूरी टीम को हाउट करना सच में बहुत खास है। यह अविश्वसनीय जैसा है।

हरभजन सिंह ने कहा -''पटेल 47.5-12-119-10 इस प्रदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा, बेहद ही शानदार है, मैं खड़े होकर ताली बजाना चाहता हूं।

अपनी इस उपलब्धि पर एजाज़ ने कहा कि यह उपलब्धि एक सपने की तरह है। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज ने अपने जन्मस्थल पर भी भारत की पारी में सभी 10 विकेट चटकाने की उपलब्धि हासिल करने के बाद कहा कि उनकी किस्मत में था कि वह मुंबई में ही ऐसा करें। पटेल ने इस उपलब्धि के बाद कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह एक सपने की तरह है और अपने कैरियर में यह उपलब्धि हासिल करना बहुत विशेष हैं मेरी किस्मत में ही था कि मैंने यह उपलब्धि मुंबई में ही हासिल की। उन्होंने कहा 'मेरे लिए यह विशेष अवसर है, सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी। मेरा दुर्भाग्य है कि वे कोविड के कारण यहां मेरे साथ नहीं हैं। साथ ही मैं इस शानदार उपलब्धि में कुंबले सर के साथ शामिल हो गया हूं।'

पारी में दस विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज़ 'एजाज़'

एक ही पारी में पूरी 10 विकेट लेकर 10-O-10 में शामिल होने वाले एजाज़ पटेल के नाम यह कीर्तिमान भारत के विरुद्ध होना एक इत्तेफाक़ से कम नहीं है क्योंकि मुंबई (भारत) में जन्में बाएं हाथ के स्पिनर एजाज़ पटेल ने क्रिकेट की रिकॉर्ड पुस्तिका में अपना नार्म दर्ज करा लिया जब वह भारत के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट के दौरान एक ही पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले टैस्ट क्रिकेट के 144 वर्ष के इतिहास में तीसरे गेंदबाज़ बन गए। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज़ों ने दूसरे टैस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड पारी को 62 रन पर समेटकर मेज़बान को पहली पारी में 263 रन की विशाल बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड टीम फालोऑन नहीं बचा सकी थी लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दोबारा बल्लेबाज़ी का फैसला किया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 69 रन बना लिए थे। पहली पारी के शतकवीर मयंक अग्रवाल 38 और चेतेश्वर पुजारा 29 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत के पास अब 332 रन की विशाल बढ़त हो गई है जबकि तीन दिन का खेल बाक़ी है। अपने माता-पिता के साथ 1996 में न्यूजीलैंड में जा बसे पटेल ने इंग्लैंड क जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली। लेकर ने 1956 में आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैनचेस्टर में यह कमाल किया था। उन्होंने 51.2 ओवर में 53 रन देकर दस विकेट लिए थे। वहीं, कुंबले ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिल्ली में फरवरी 1999 में 26.3 ओवर में 74 रन देकर दस विकेट लिए थे।

मोटापा आपके लिए न बन जाए जानलेवा

शरीर निरोग हो तो जीवन का आनंद ही अलग और ख़ास होता है। लेकिन अगर कोई बीमारी परेशान करने लग जाए तो जीना मुहाल हो जाता है। आजकल शहरी जीवन शैली की वजह से कई बीमारियां युवाओं को भी सतानें लगी हैं। इनमें से अनेक तो मोटापे की वजह से होती हैं यानि मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है। ऐसे में इससे बच रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

कैसे होते हैं मोटापे का शिकार

वैज्ञानिक रूप से कहें तो मोटापा तब होता है, जब हम दैनिक ज़रूरत से ज़्यादा कैलरी ग्रहण करने लगें, किन्तु उस अनुपात में उसे खपा न पाएं। कैलरी ग्रहण करने और खपाने में असंतुलन होने से हमारा शरीर अतिरिक्त वसा (फैट) जमा करने लगता है। यही वसा धीरे धीरे मोटापे का रूप ले लेती है।

कहां होती है गड़बड़

हमारे शरीर में क़ुदरती रूप से फेट सेल्स मौजूद रहते हैं। ये फेट शरीर के विकास तथा ऊर्जा के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे के जन्म के 12 से 18 महीने तक ये बहुत सक्रिय रहते हैं। इस दौरान बच्चे का वजन बढ़ता हैं 12 से 16 साल के बीच यह पुन: सक्रिय होकर शरीर का वज़न बढ़ा देते हैं। गर्भावस्था में वज़न बढ़ने का कारण यही फैट सेल्स है। शरीर का विकास और निर्माण चलता रहता है। ऊर्जा की खपत इन्हीं अवस्थाओं में अत्याधिक होती है। प्रात: 40 के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट कम होने लगता है। हम सुस्त पड़ने लगते हैं, किन्तु हमारे खान पान में कोई बदलाव नहीं आता। परिणामस्वरूप शरीर मोटा हो जाता है।

कैसे जानें कि आप मोटे हैं

आप अपनी लंबाई और वज़न के आधार पर जान सकते हैं कि आप मोटे हैं या आपका वजन आदर्श है। माना जाता है कि अगर आपकी लंबाई 05 फुट है तो आपका आदर्श वजन 58 किलोग्राम तक होना चाहिए। उससे अधिक 69 किलोग्राम तक के बीच अगर आपका वजन है तो वह अधिक कहलाएगा। अगर आप 69 किलोग्राम से अधिक के हैं तो आप मोटापे के शिकार हैं। अगर आप पुरुष हैं और आपकी कमर की चौड़ाई 40 इंच हैं तो समझ लें कि यह ख़तरे की घंटी हैं। महिलाओं की कमर अगर 35 इंच की हो तो डाक्टर इसे ख़तरे की घंटी मानते हैं

आप कितने मोटे हैं

लंबाई	सामान्य वजन	अधिक वज़न	मोटापा
5 फुट	58 किलोग्राम तक	69 किलोग्राम तक	उससे अधिक
5.3 फुट	64 किलोग्राम तक	76 किलोग्राम तक	उससे अधिक
5.6 फुट	70 किलोग्राम तक	85 किलोग्राम तक	उससे अधिक
5.9 फुट	76 किलोग्राम तक	92 किलोग्राम तक	उससे अधिक
06 फुट	83 किलोग्राम तक	100 किलोग्राम तक	उससे अधिक
6.3 फुट	90 किलोग्राम तक	109 किलोग्राम तक	उससे अधिक

कैसे बचें मोटापे से

खान-पान में बदलाव लाएं। अपने आहार से जंक फूड, मिठाइयां, तेल घी, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे चावल, राजमा, आलू, केला, अंडा, मटन, अरबी आदि का त्याग कर दें। खूब पानी पीएं।

भोजन में हरी सब्जियां, बीन्स, दालें, छोटी मछली आदि को शामिल करें। उबला, ग्रिल किया हुआ और तंदूर में भुना हुआ भोजन खाएं। जूस पीने के बदले फल खाएं।

शरीरिक श्रम है ज़रूरी

लिफ्ट नहीं, सीढ़ी का प्रयोग करें।

अपने गंतव्य स्थान से कुछ दूर पहले बस या मैट्रो से उतर कर पैदल जाएं।

बाजार साइकिल से या पैदल जाएं। बच्चों को साइक्लिंग, फुटबॉल बैडमिंटन स्केटिंग आदि के लिए प्रोत्साहित करें।

क्या है उपचार

अधिक मोटापे की स्थिति में तो सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, लेकिन उसके पहले आप खुद को संभाल भी सकते हैं। मोटे लोगों को दिन भर में 3-4 लीटर गर्म पानी पीना चाहिए।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

जाता है।

यू.ए.पी.ए. के प्रावधानों को लागू करने के पीछे विचार 2 लक्ष्य प्राप्त करने का है। पहला, यह उन लोगों के लिए चुप रहने का संकेत है जो मानवाधिकार उल्लंघनों के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं अन्यथा उन पर मामले थोप दिए जाते हैं। इसका एक उद्देश्य कार्यकर्ताओं तथा अन्यों को लम्बे समय तक व्यस्त रखने तक का भी है ताकि वे थक-हार जाएं तथा दूसरों को भी इससे सबक़ मिले।

यू.ए.पी.ए. के दुरुपयोग का नवीनतम उदाहरण त्रिपुरा पुलिस द्वारा 102 लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई का है जिनमें वकील तथा पत्रकार शामिल हैं जिन्होंने राज्य में हालिया साम्प्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग तथा लेख लिखे थे। राज्य पुलिस ने यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस भेजे हैं। जिन वकीलों को हिरासत में लिया गया वे साम्प्रदायिक हिंसा को लेकर एक स्वतंत्र तथ्य खोज जांच आयोग के एक हिस्से के तौर पर त्रिपुरा गए थे। पत्रकारों में से एक श्याम मीरा सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें सिर्फ यह टवीट करने के लिए यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया कि 'त्रिपुरा' उठा।

क़ानून के दुरुपयोग की निंदा करते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि यह अत्यंत परेशान करने वाला रुझान है जहां एक ऐसा कड़ा क़ानून है, जहां जांच तथा ज़मानत आवेदनों की प्रक्रियाएं अत्यंत सख़्त तथा मनमानी है, इसका इस्तेमाल महज़ साम्प्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग तथा प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा है।'

गिल्ड का कहना है कि इसकी राय यह है कि सरकारें ऐसी घटनाओं पर रिपोर्टिंग को दबाने के लिए यू.ए.पी.ए. जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसने सुप्रीम कोर्ट से की गई अपनी पहले वाली मांग को भी दोहराया कि जिस तरह से ऐसे कानूनों का अन्यायपूर्ण इस्तेमाल बोलने की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ किया जा रहा है इसका संज्ञान लें तथा इनके अंतर्गत पत्रकारों पर दोष लगाने के सिलसिले में कड़ी गाइडलाइन्स जारी करें ताकि ऐसे कानून प्रैस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक आसान हथियार न बनें।

सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वरिष्ठ सेवानिवृत्त तथा सेवारत जजों ने कानून में संशोधन की ज़रूरत की बात कही है। इनमें सुप्रीमकोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरिमन, दीपक गुप्ता तथा मदन लोकुर शामिल है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा कि विरोध को दबाने के लिए यू.ए.पी.ए. का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

यद्यपि अदालतें विरोधाभासी संकेत दे रही हैं। छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता तथा आसिफ इक़बाल तन्हा को ज़मानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि 'हम यह कहने को मजबूर हैं कि ऐसा लगता है कि विरोध को दबाने के अपने उतावलेपन में तथा इस डर से कि मामला हाथ से निकल जाएगा, सरकार ने संवैधानिक तौर पर प्रदत्त 'प्रदर्शन के अधिकार' तथा 'आतंकवादी गतिविधि' के बीच रेखा को धुंधला कर दिया है।

हालांकि ज़मानत देने के ख़िलाफ़ एक अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट द्वारा ज़मानत देने के आदेशों को 'किसी भी अन्य मामले में एक मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।'

एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने छात्र कार्यकर्ताओं थ्वाहा फैसल तथा अल्लम शोएब को ज़मानत देने के दौरान, जो अपने कथित माओवादी संबंधों के आरोपों का सामना कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महज़ एक आतंकवादी संगठन को एक सदस्य या अन्य के तौर पर समर्थन देना यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत एक अपराध के रूप में माने जाने के लिए अपर्याप्त है।

यही समय है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर पूरी मज़बूती से अंकुश लगाए तथा क़ानून को समाप्त कर दे क्योंकि वर्तमान सरकार द्वारा ऐसा करने की संभावना नहीं है। हमारे विचार में सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारे संविधान का निगरां और संरक्षक भी है, मौजूदा सरकार के विधान के मनमाने प्रयोग और उसकी मनमानी विश्लेषण पर काफी संजीदा नज़र आ रहा है लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस स्थिति में नहीं होते कि वह अपने मामलात सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएं उनकी पूरी ताक़त निचली अदालतों में ही दम तोड़ देती है उनमें से अधिकतर लोग हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट तक जाने का सामर्थ्य नहीं रखते जबकि निचली अदालतों से सरकार अपना पहुंच का प्रयोग करके मनमाने निर्णय कराने में सफलता प्राप्त कर लेती है इसलिए अगर उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों को चुन कर कोई गाइडलाइन निचली अदालतों को जारी कर दे या फिर अपने तौर पर कोई ऐसी अथॉरटी बा दे जो निचली अदालतों का निर्णय का जायज़ा लेकर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दें।

बहरहाल यह तो हमारी ख़्वाहिश है कि न्यायालय क्या करती हैं और सरकारों के विधानों के अवैध प्रयोग पर किस तरह रोक लगाती हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा मगर सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह मानवाधिकार और नागरिकों के अधिकार की रक्षा को सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया है यह अपने आप में बहुत बड़ी और क़ाबिले तारीब बात है, हमें उम्मीद है कि अब जब बात चली है तो यह बहुत दूर तक जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।❑❑

शेष.... मुसलमानों के विरुद्ध सरकारी संरक्षण में....

अपराध का विरोध, दीनी तालीमी बोर्ड, इस्लाहे मुआशरा, वोटर्स जागरुकता अभियान, जमीयत यूथ क्लब और लीगल सेल की रिपोर्टें पेश हुईं जिन पर कार्यसमिति ने संतोष व्यक्त किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिन्द मौलाना मदनी ने सम्मेलन के आयोजन और समिति के पदाधिकारियों की आमद और स्वागत के लिए जमीयत उलेमा पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष मौलाना सद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने सारे कार्य समिति के पदाधिकारियों को मोमेंटो पेश किया और लंबे समय के बाद कोलकाता में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यसमिति के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की।

इस अवसर पर कार्यसमिति के सम्मेलन के दौरान एक चरणा ऐसा भी रखा गया जिसमें पश्चिमी बंगाल की ज़िला शाखाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया और उनके समक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के विभिन्न विभागों की रिपोर्ट पेश हुई।

सम्मेलन में अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिन्द मौलाना महमूद मदनी और राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के अलावा विशेष रूप से मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मोहतमिम व शैखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, नायब अमीर उल हिन्द मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, मौलाना सद्दीकुल्लाह चौधरी, मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद राशिद आज़मी नायब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी, मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद अफ़्फ़ान मंसूरपुरी, मौलाना शौक़त अली वेट, मुफ़्ती मोहम्मद जावेद इक़बाल क़ासमी, मौलाना नियाज़ अहमद फारूक़ी, क़ारी मोहम्मद अमीन, मुफ़्ती अब्दुल रहमान नौगांवा सादात, मुफ़्ती अहमद देवला गुजरात, मौलाना मोहम्मद आक़िल गढ़ी दौलत, डॉक्टर मसूद आज़मी, मौलाना सिराजुद्दीन मोईनी, अजमेरी नदवी, दरगाह अजमेर शरीफ और मुफ़्ती इफ्तिख़ार कासमी कर्नाटक, मौलाना अब्दुल्लाह मारूफी, मौलाना मोहम्मद नाज़िम, हाजी मोहम्मद हसन चेन्नई, मौलाना मंसूर काशफ़ी तमिलनाडू, मुफ़्ती शमसुद्दीन बिजली, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम केरल, हाजी मोहम्मद हारून, मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी, मौलाना कलीम उल्लाह ख़ान क़ासमी, हाफिज़ उबैदुल्लाह बनारस ने भाग लिया।❑❑

चाचा शिवपाल को मनाने पहुंचे अखिलेश यादव, यूपी चुनाव में गठबंधन पर बनी सहमति, साथ मिलकर लड़ेंगे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार को अपने चाचा शिवपाल को मनाने उनके घर पहुंचे और करीब एक घंटे तक चाचा और भतीजे के बीच मिशन 2022 में होने वाले चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मुलाकात में यह तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। पिछले कई माह से चाचा शिवपाल और उनके भतीजे अखिलेश यादव एक दूसरे के प्रति नरमी दिखा रहे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही चाचा और भतीजा फिर से एक हो सकते हैं। ऐसे में शिवपाल लसह यादव के घर अचानक अखिलेश यादव का पहुंचना और काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत होने से दोनों में सहमति के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रेय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। इस दौरान शिवपाल यादव के घर के बाहर दोनों नेताओं के समर्थकों की भीड़ भी जमा हो गई और दोनों की एकता के नारे लगाने लगे। इस मुलाकात के बाद अब माना जा रहा है कि सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन हो सकता है। शिवपाल यादव इससे पहले मीडिया में कई बार यह बयान देते रहे हैं कि अखिलेश को जो फैसला करना है वह जल्द करें।

शेष.... एमएसपी क़ानून से होंगी....

एक शोध पत्र बनाया था, जिसमें हमने किसानों की आय को दोगुना करने से जुड़े 7 प्रमुख उपायों का ज़िक्र किया था। इसमें प्रमुख था कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार तीन कृषि क़ानून लेकर आई। हमारा मानना था कि अगर कृषि क़ानून लागू होते तो किसानों की आमदनी में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि होती। इससे कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पध र्ा बढ़ती, फसलों की अधिक उत्पादकता होती, उद्योगों के लिए कच्चे माल में बढ़ोत्तरी होती। अगर कृषि क़ानून लागू होते, तो यह परिवर्तन हमें दो से तीन वर्ष में देखने को मिलता। इन क़ानूनों के रद्द होने से इस दिशा में बड़ा झटका लगा है। इन क़ानूनों के लागू होने से मंडियों की संरचना में विस्तार होता और कृषि क्षेत्र मज़बूत होता। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जिन अन्य पांच-छह प्रमुख स्रोतों की हमने पहचान की थी, उनमें हमने पाया कि अधिकांश प्रदेशों में किसानों की आय बहुत अधिक है। वहां उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसके लिए वहां पूरी कृषि व्यवस्था में बदलाव करना होता तभी किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा बाकी प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क़ानून अहम साबित होते।

प्रश्नः-कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता बड़ी समस्या रही है। इसे दूर करने के लिए क्या सोचा जा रहा है?

उत्तरः- इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे यहां कुछ फसलों की उत्पादकता बहुत अधिक होती है, इनका वैश्विक अनुपात बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी और अधिकांश फसलों की उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 70 प्रतिशत किसान एक हेक्टेयर से भी कम जोत कर खेती करते हैं। जब जोत का आकार इतना छोटा होगा, तो उत्पादकता तो कम होगी ही। छोटे किसानों के लिए आय के अन्य स्रोतों का विस्तार करना होगा। इस प्रकार के छोटे किसानों को खेती पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर किसानों ने भी अपना ध्यान केन्द्रित कर लिया है। छोटे किसानों की आय का 50 प्रतिशत स्रोत कृषि है। इसके अलावा ग़ैर कृषि कार्य से वो आय अर्जित कर रहे हैं। कृषि कार्य से जुड़े अधिकतर छोटे किसानों के परिवार के सदस्य नौकरियां भी कर रहे हैं।

प्रश्नः- कृषि क़ानून तो रद्द हो गए। अब कृषि सुधार के लिए कोई और तरीक़ा अपनाया जा सकता है..?

उत्तरः- इसके लिए सरकार को किसानों के लिए चल रही सभी सब्सिडी को मिलाकर एक यूनिवर्सल इनकम तैयार करनी चाहिए। छोटे किसानों के लिए यह अहम क़दम होगा। इसके लिए सरकार को कृषि बजट में बढ़ोत्तरी करनी होगी। इस दिशा में एक क़दम बढ़ाया गया है। पीएम किसान योजना के तहत वर्ष में हर एक किसान को 6000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह की और योजना बनानी होगी।❑❑

शेष....राजनीतिक हितों के लिए...

पर पूरा विश्वास करते हुए उनकी बात पर अमल करें।

वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम अपनी बिगाड़ी गई छवि को बदलें और देश व मिल्ली तथा दीनी जागरुकता की आपसी एकता के साथ, शारीरिक मानसिक और अध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, बहादुर और जान न्यौछावर करने वाला, मानवता और मित्रता और देश के वफादार नागरिक का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिस पर हमारे देश तथा क़ौम को गर्व हो।

हमें अपने नौजवानों को ऐसे रूप में सुदृढ़ करना चाहिए कि देश में आने वाली आपदाओं, विपदाओं, घटनाओं या बाहरी आक्रमणकारियों का मुक़ाबला करने में वह सबसे आगे और सक्षम हों।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **12 Dec.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मुसलमानों के विरुद्ध सरकारी संरक्षण में जारी घृणा, अभियान और राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग, देश से सरासर दुश्मनी और बग़ावत

जमीअत उलेमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सत्तारुढ़ पार्टी को दो टूक

कोलकाता में आयोजित जमीअत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने मुसलमानों के संबंध में ग़लतफहमी के समाधान के लिए आवश्यक क़दम उठाने का फैसला किया।

कोलकाता : नई दिल्ली (11 दिसंबर 2021)

जमीयत भवन कोलकाता के मौलाना असअद मदनी हाल में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यसमिति का दो दिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में देश की वर्तमान साम्प्रदायिक परिस्थिति पर विचार मंथन सहित एक दर्जन एजेंडों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और उनसे संबंधित जमीयत की जारी गतिविधियों का आंकलन किया गया।

पूर्व कार्यवाही को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने पढ़ा। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द का वास्तविक काम, देश व मिल्लत का मार्ग दर्शन है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने देश की स्वतंत्रता और उसके बाद देश बंटवारे के अवसर पर मिल्लत का मार्ग दर्शन करके अपने कर्तव्य को बख़ूबी निभाया था जो इतिहास में हमारे लिए गौरव गाथा है।

आज की वर्तमान परिस्थितियां अत्याधिक चिंताजनक हैं। यह बहुत दु:ख की बात है कि इस देश में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के महान व्यक्तित्व का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, ऐसे अवसर पर हम यह कहकर बच नहीं सकते कि सिर्फ चुनाव के लिए घृणा के बीज बोए जाते हैं बल्कि मुसलमान और उसकी धार्मिक पहचानों पर हमला, सार्वजनिक रूप अपनाता जा रहा है। ऐसे समय में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी और उसे आगे आकर स्थितियों का मुक़ाबला करना होगा। इसके अलावा ऐसे प्रोग्राम तय करने होंगे जिनके माध्यम से आपसी घृणा का वातावरण समाप्त किया जाए और

राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग निंदनीय कृत्य : मौलाना महमूद मदनी

कोलकाता के जमीयत भवन में केन्द्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न

राजनीतिक अभिप्राय और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धर्म और धार्मिक प्रतीकों का शोषण, हमारे देश की राजनीति का अत्याधिक निंदनीय स्वरूप बनता जा रहा है। राजनीति में अवसरवादी हितों और चुनाव में वोट बटोरने के लिए बहुसंख्यक वर्ग को खुश करना और उत्तेजित नारों के माध्यम से उसका समर्थन प्राप्त करना और मुसलमानों तथा उनकी वास्तविक मांगों से दृष्टि फेरना भी इसी राजनीतिक हथकंडे का भाग है।

मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए इस्लामी मूल्यों-सिद्धांतों, मस्जिदों, नमाज़ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के व्यक्तित्व का अपमान करने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और सरकार व प्रशासन की ओर से ऐसे तत्वों का समर्थन व उनका हौंसला बढ़ाया जा रहा है दूसरी ओर मुसलमानों को उत्तेजित करके उनको दीवार से लगाने और अलग थलग करने की कोशिशें बहुत समय से की जा रही है।

मुस्लिम और इस्लामी के खुले तौर पर और सामूहिक रूप से प्रदर्शन के कारण विश्व स्तर पर अपने देश की बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की घृणात्मक, संकुचित धार्मिक कट्टरपंथी छवि बन रही हैं। इसके कारण विभिन्न देशों के साथ हमारे पुराने संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर हिन्दुस्तान विरोधी तत्वों को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में देश की अखंडता और उन्नति के संदर्भ से जमीअत उलेमा-ए-हिन्द सत्तारुढ़ पार्टी का ध्यान आकर्षित करना चाहती है कि वह तुरंत ऐसे क़दम और पॉलिसियों से बाज़ आए जो कि लोकतंत्र, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं और केवल मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनी पर आधारित है।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुसंख्यकों के धार्मिक विचारों को उत्तेजित करके अपने अस्तित्व को स्थापित रखना, देश के साथ वफादारी और मोहब्बत के बजाय, सरासर दुश्मनी और बग़ावत है। ऐसे क़दम, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने और राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति में सहायक तो हो सकते हैं, मगर यह राष्ट्रहित में हरगिज़ नहीं हैं और न देश को आगे ले जाने वालों का यह मार्ग हो सकता है।

सत्ताधारी वर्ग को यह भी मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले तत्वों की निंदनीय घटिया हरकतों की वजह से देश की तरक्क़ी के क़दमों पर पानी फिर गया है और उनके लाभ पीछे चले गए हैं। यह देश, मुसलमानों को उपेक्षित करके कभी भी खुशहाल और तरक्क़ी से भरा नहीं बन सकता। इसलिए आवश्यक है कि वह अपने इस नकारात्मक व्यवहार को छोड़ दें और राष्ट्रीय हित में पूरी गंभीरता-सद्भावना के साथ आगे बढ़कर बहुसंख्यक व अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास का वातावरण बहाल करें, वरना इसके परिणाम, देश तथा क़ौम यानि सभी के लिए अत्याधिक हानिकारक होंगे।

हम न्याय प्रिय और देश मित्र लोगों, संस्थाओं और ग्रुपों से अपील करते हैं कि प्रतिक्रिया और उत्तेजक विचारों वाली राजनीति को छोड़ते हुए एकजुट होकर, कट्टरवादी और फासिज़्मवादी शक्तियों का, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मुक़ाबला करें और देश में भाईचारा, आपसी सद्भाव और न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव संघर्ष करें।

उम्मत के नौजवानों और विद्यार्थियों के संगठनों को हम विशेष रूप से चेता देना चाहते हैं कि वह आंतरिक व बाहरी देश दुश्मन तत्वों के, प्रत्यक्ष रूप से निशाने पर हैं, उन्हें (नौजवानों को) निराश करने, भड़काने और गुमराह (भ्रमित) करने का हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सामने सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों का उदाहरण है जिन्हें जिहाद के नाम पर धोखा देकर फंसाया गया या आतंकवाद के झूठे आरोप लगाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। इसलिए विशेष रूप से मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि वह जेहाद के नाम पर किसी चाल - धोखे का शिकार न हों और अपने महापुरुषों

बाक़ी पेज 11 पर

गलतफहमियों की जो दीवार खड़ी की गई है उसे ध्वस्त किया जा सके और यह सब गलतफहमियों के जो समाधान के बग़ैर संभव नहीं है इसलिए राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सम्मेलन में अत्याधिक विचार मंथन के बाद यह तय किया कि सीरत वह दूसरे विचाराधीन समस्याओं और शीर्षकों पर पत्र पत्रिकाएं और संक्षिप्त वीडियो तैयार करने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के पुराने विभाग दावते इस्लाम को तय किया जाए और इस संबंध में भविष्य के प्लान तैयार किए जाएं। इसके अलावा रसूल के अपमान के दोषियों के लिए विधि वत सज़ा दिलाने से संबंधित कानूनी क़दमों का आंकलन किया गया और तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की ओर से जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर और अधिक हर संभव प्रयास किए जाएं।

इसके अलावा राष्ट्रीय कार्य समिति में फरवरी के अन्तिम सप्ताह में कार्यसमिति का राष्ट्रीय सम्मेलन करने का भी निर्णय किया गया। कार्यसमिति में विशेष रूप से जमीयत की ज़िला स्तरीय शाखाओं को मज़बूत और सक्रिय करने, मिल्लत फण्ड की स्थापना से संबंधित व्यवहारिक प्रोग्राम और योजनाएं पेश की गईं और इनको स्वीकृत किया गया। जमीयत एजूकेशन फाउंडेशन के तहत मदरसों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा व सर्टिफिकेट से सुसज्जित करने का जारी अभियान, घृणात्मक

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173